

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,
जयपुर द्वारा आयोजित



CET

10+2 एवं स्नातक स्तर

राजस्थान की राजव्यवस्था

VOLUME 9

THEORY+ MCQ+PYQ

एक ही पुस्तक में

2023 एवं 2024 में आयोजित
(CET 10+2 एवं स्नातक स्तर - सभी SHAFI) राजस्थान की राजव्यवस्था
के PYQ प्रश्नों का हल सहित समावेश

नागवेन्द्र सर

अक्षांश पब्लिकेशन

M. 9079798005, 6376491126

Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle, Main Road, Udaipur



व्याख्यात्मक हल

लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर

के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध

1 जुलाई 2026
को जारी नवीनतम
पाठ्यक्रम पर आधारित

अभिकथन-कारण, युग्म, सुमेलित,
सत्य- असत्य प्रश्नों के पैटर्न पर

सागरभित प्रश्नोत्तरों का संकलन



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित

CET

10+2 एवं स्नातक स्तर

राजस्थान की राजव्यवस्था

THEORY+ MCQ+PYQ

VOLUME 9

“अक्षांश प्रकाशन की समस्त पुस्तकें लक्ष्य क्लासेज, उदयपुर के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं अक्षांश प्रकाशन की समर्पित टीम के सहयोग से तैयार की गई हैं।”

संपादक

नागवेंद्र सर

सह संपादक

गंगासिंह, अनोपचंद मंडा

प्रकाश, सुमेर प्रजापत

प्रकाशन

अक्षांश प्रकाशन, उदयपुर (राज.)

नोट :- अब लक्ष्य क्लासेज की सभी आगामी पुस्तकें केवल 'अक्षांश प्रकाशन' के माध्यम से ही प्रकाशित की जाएंगी। ये सभी पुस्तकें बाजार में 'अक्षांश' नाम से ही उपलब्ध होंगी। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आगामी समय में 'लक्ष्य' नाम से कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं की जाएगी। इसलिए कृपया पुस्तक खरीदते समय केवल 'अक्षांश प्रकाशन' के नाम से प्रकाशित और अधिकृत पुस्तकें ही बुक स्टोर्स से प्राप्त करें, ताकि आपको प्रमाणिक, अद्यतन एवं परीक्षा-उपयुक्त सामग्री प्राप्त हो। भविष्य में 'लक्ष्य' नाम से प्रकाशित किसी भी पुस्तक की सामग्री या गुणवत्ता की जिम्मेदारी 'अक्षांश प्रकाशन' या 'लक्ष्य क्लासेज, उदयपुर' की नहीं होगी।

प्रकाशन

अक्षांश प्रकाशन

Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle,
Main Road, Udaipur

लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर से जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करें



TELEGRAM



INSTAGRAM



YOUTUBE



FACEBOOK



WHATSAPP

बुक कोड - AP0130

©सर्वाधिकार - अक्षांश प्रकाशन

lakshyaclassesudr@gmail.com

मुख्य वितरक - लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर

M. 9079798005, 6376491126

इस पुस्तक में दी गई सभी जानकारियाँ, तथ्य और सूचनाएँ सावधानीपूर्वक सत्यापित की गई हैं। फिर भी यदि किसी जानकारी या तथ्य में कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए प्रकाशक, संपादक या मुद्रक जिम्मेदार नहीं होंगे।

हमारा विश्वास है कि इस पुस्तक की सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से तैयार की गई है। यदि किसी प्रकार का कॉपीराइट उल्लंघन सामने आता है, तो उसकी जिम्मेदारी प्रकाशक की नहीं होगी।

सभी विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक क्षेत्र उदयपुर रहेगा।

अक्षांश प्रकाशन ने इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्रोतों से प्राप्त किया है। इस पुस्तक में प्रकाशित सभी प्रकार की सामग्री पूर्णतः तथ्यात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इस पुस्तक के किसी भी भाग और सामग्री को अक्षांश प्रकाशन की अनुमति और जानकारी के बिना अन्यत्र प्रकाशित या प्रिन्ट करना अनुचित है, यदि ऐसा पाया जाता है तो व्यक्ति या संस्थान स्वयं जिम्मेदार है।

अनुक्रमणिका

क्र.	अध्याय	स्नातक स्तर	सीनियर सैकण्डरी स्तर	पृष्ठ संख्या
1.	राज्यपाल	✓	✓	1-13
2.	मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	✓	✓	14-24
3.	राज्य विधानमण्डल	✓	✓	25-44
4.	उच्च न्यायालय	✓	✓	45-54
5.	राज्य लोक सेवा आयोग	✓	✓	55-62
6.	राज्य निर्वाचन आयोग	✓	✓	63-66
7.	राज्य सूचना आयोग	✓	✓	67-71
8.	राज्य मानवाधिकार आयोग	✓	✓	72-75
9.	मुख्य सचिव	X	✓	76-80
10.	जिला प्रशासन	✓	✓	81-89
11.	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज	✓	✓	90-102
12.	नगरीय स्थानीय स्वशासन	✓	✓	103-111
13.	लोकायुक्त	✓	X	112-116
14.	राज्य वित्त आयोग	✓	X	117-118
15.	CET 10+2 स्तर विगत वर्षों के प्रश्न			119-122
16.	CET स्नातक स्तर विगत वर्षों के प्रश्न			123-125

❖ संविधान में प्रावधान

- ◆ संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है।
- ◆ राज्यपाल के पद का प्रावधान कनाडा से लिया गया।
- ◆ राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) शामिल होते हैं।
- ◆ राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक प्रमुख) होता है एवं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है।
- ◆ केंद्र में उप-राष्ट्रपति के समान उप-राज्यपाल का कोई पद नहीं होता।

अनुच्छेद	विवरण
153	राज्यों के राज्यपाल
154	राज्य की कार्यकारी शक्ति
155	राज्यपाल की नियुक्ति
156	राज्यपाल के पद का कार्यकाल
157	राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ
158	राज्यपाल कार्यालय की शर्तें
159	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
160	कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन
161	क्षमा आदि देने की राज्यपाल की शक्ति
162	राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
163	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्तियाँ, कार्यकाल, वेतन और अन्य
165	राज्य के महाधिवक्ता
166	किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन
167	राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
174	राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
200	विधेयकों पर सहमति (अर्थात् राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति)
201	राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक
213	अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
217	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श किया जा रहा है
233	राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
234	राज्यपाल द्वारा राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों (जिला न्यायाधीशों के अलावा) की नियुक्ति।

राज्य का राज्यपाल

- ◆ **अनुच्छेद 153** - प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा; एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है (7वां संविधान संशोधन, 1956)।
- ❖ **राज्य की कार्यपालिका शक्तियां**
- ◆ **अनुच्छेद 154** - राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा।

❖ राज्यपाल की नियुक्ति

- ◆ **अनुच्छेद 155** - राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र (वारण्ट) जारी करता है, जिसे मुख्य सचिव द्वारा पढ़ा जाता है।
- ◆ राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित दो परम्पराएं भी जुड़ गयीं यद्यपि दोनों परम्पराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन हुआ है।
 1. वह उस राज्य से संबंधित न हो जिस राज्य में नियुक्त किया जा रहा है।
 2. राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे।

◆ **रघुकुल तिलक बनाम हरगोविन्द सिंह वाद 1979** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है।

❖ **राज्यपाल की पदावधि**

◆ **अनुच्छेद 156** - राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से पांच वर्ष के लिए होता है लेकिन वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।

◆ एक राज्यपाल पांच वर्ष के बाद भी पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, ताकि रिक्तता की स्थिति न पैदा हो।

◆ राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सम्बोधित करके देता है।

◆ **'बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ, 2010'** नामक मामले में **के. जी. बालकृष्णन** की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता।

❖ **राज्यपाल हेतु अर्हताएं**

◆ **अनुच्छेद 157** - संविधान ने राज्यपाल हेतु दो अर्हताएं/योग्यताएं निर्धारित की-

1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

❖ **राज्यपाल पद की शर्तें**

◆ **अनुच्छेद 158 - (1)** उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य। यदि किसी सदन का सदस्य है तो पद ग्रहण से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा।

◆ (2) उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।

◆ (3) वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों एवं विशेषाधिकार का अधिकारी होगा।

◆ (3 क) 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 7 के तहत यह अनुच्छेद जोड़ा गया कि यदि वह दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तब उपलब्धियां एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानक के हिसाब से मिलेंगे।

◆ (4) उसके कार्यकाल के दौरान आर्थिक उपलब्धियों एवं भत्ते काम नहीं किये जा सकते।

❖ **शपथ / प्रतिज्ञान**

◆ **(अनुच्छेद 159)** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलायी जाती है।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का प्रारूप संविधान की अनुसूची-3 में उल्लेखित नहीं है।

प्रमुख शब्दावली - संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण।

"मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक..... (राज्य का नाम) के राज्यपाल के पद का कार्यपालन (अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं..... (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा।"

◆ **अनुच्छेद 160 - कुछ आकस्मिकताओं के कारण राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति उपबंध कर सकता है।**

◆ राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्यपाल के कार्य का निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझे तथा निम्न पदाधिकारियों में से कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति कर सकेगा।

1. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
2. उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश
3. पड़ोसी राज्य का राज्यपाल

◆ **अनुच्छेद 161 - राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख**

◆ राज्यपाल ऐसे विषय पर क्षमा प्रदान कर सकता है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन है।

◆ राज्यपाल के पास उन मामलों से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की शक्ति होगी, जिसके लिए राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति होगी।

◆ **अनुच्छेद 361 - राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ एवं विशेषाधिकार**

1. राज्यपाल अपने पद के अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते।

2. उनके कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला न तो दायर किया जा सकता है और न ही चलाया जा सकता है।


3. उनके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी या कारावास का आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

4. उनके व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित दीवानी मुकदमा उनके कार्यकाल के दौरान तभी दायर किया जा सकता है, जब **दो महीने पूर्व लिखित नोटिस** दिया गया हो।

नोट:- 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा संविधान में उल्लेखित राजप्रमुख शब्द का सभी स्थानों से लोप कर दिया गया परंतु अनुच्छेद 255(ख) व 361(1) में राजप्रमुख शब्द का उल्लेख मिलता है।

राज्यपाल की शक्तियां

1. राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां




- ◆ राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं।
- ◆ राज्यपाल इस संबंध में भी नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाये गए आदेश और अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे।
- ◆ वह राज्य सरकार के कार्य और मंत्रियों को कार्य का आबंटन सुविधाजनक हो इसके लिए नियम बना सकता है।
- ◆ वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
- ◆ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड व मध्यप्रदेश में राज्यपाल, जनजाति कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति करता है।
- ◆ राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका वेतन भत्ते तय करता है तथा महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसादपर्यंत तक होता है।

❖ अन्य कार्यपालक शक्तियाँ

1. **अनुच्छेद 166 (1)** - राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायेगी।
2. **अनुच्छेद 166 (3)** - राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्य विधि और नियम बनाना एवं मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा।
3. **अनुच्छेद 208 (3)**- राज्यपाल विधानपरिषद् वाले राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और विधानपरिषद् के सभापति से परामर्श के पश्चात् दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

4. **अनुच्छेद 244** -विशेष क्षेत्र घोषित जनजातियों के प्रशासन एवं विकास योजनाओं के क्रम में संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास कतिपय विशिष्ट शक्तियाँ होती है।



2. राज्यपाल की विधायी शक्तियां

- ◆ राज्यपाल, राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है, इसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं:-
- ◆ राज्य विधानपरिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को वह नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता व समाज सेवा का ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव हो।

- ◆ वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। (अनुच्छेद - 174)
- ◆ वह विधानमण्डल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य मसले पर सन्देश भेज सकता है। (अनुच्छेद - 175)
- ◆ वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले एवं प्रतिवर्ष के पहले सत्र को सम्बोधित कर सकता है। (अनुच्छेद - 176)
- ◆ राज्यपाल विधानसभा सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद इसका निर्णय करता है। (अनुच्छेद - 192)


❖ **राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली 1956**

अध्याय 5

- ◆ **राज्यपाल का अभिभाषण और सदन को संदेश**
- 14. अनुच्छेद 176 (1) के अधीन राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव. (1) अनुच्छेद 176 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा सदन में किए गए अभिभाषण की प्रमाणित प्रति सदन में रखे जाने के पश्चात् यथाशीघ्र मुख्य मंत्री द्वारा चयनित कोई सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिए निम्नलिखित रूप में धन्यवाद व्यक्त करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा :-
"राज्यपाल को निम्नलिखित रूप में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :-
"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिए गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं"
प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य मंत्री द्वारा चयनित दूसरे सदस्य द्वारा किया जायेगा।
(2) ऐसे प्रस्ताव की सूचना पर प्रस्तावक व अनुमोदनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे तथा यह मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के जरिए प्रमुख सचिव को भेजी जायेगी।
- 15. संशोधन- धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जिसे अध्यक्ष उचित समझे।

- 16. अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय का नियतन. सदन, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर समय नियत करेगा:
परन्तु अत्यावश्यक मामलों में अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से उक्त समय आबंटित कर सकेगा।
- 20. संविधान के अनुच्छेद 175 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल का अभिभाषण. - संविधान के अनुच्छेद 175 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सदन कार्य सलाहकार समिति के परामर्श पर समय नियत कर सकेगा।
- 21. राज्यपाल से संदेश. जब अध्यक्ष को सदन के लिए संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अन्तर्गत राज्यपाल से संदेश मिले तो वह सदन को संदेश पढ़ कर सुनायेगा और संदेश में निर्दिष्ट विषयों पर विचार करने के लिए अनुकरणीय प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक निदेश देगा। ऐसे निदेश देने में अध्यक्ष को उस सीमा तक नियमों को निलम्बित या परिवर्तित करने की शक्ति होगी जिस सीमा तक कि आवश्यक हो।

❖ **अनुच्छेद 200 - राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर**



❖ **अनुच्छेद 213 - राज्यपाल का अध्यादेश**

राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

भाग 6, अध्याय - 04

अनुच्छेद 213 विधानमण्डल के विश्रान्तिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करना

अनुच्छेद 213 (1)

जब विधानमण्डल का सत्र नहीं चल रहा हो तथा कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश (अस्थायी कानून) जारी करता है। (मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद् की सलाह पर)
निम्न प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है
(क) ऐसा विषय जिसको विधानमण्डल में प्रस्तुत के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक हो।
(ख) यदि विधेयक में ऐसा प्रावधान हो जिसके तहत राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखे।
(ग) विधान मंडल द्वारा पारित ऐसा विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य हो।

अनु 213(2)

अध्यादेश का बल या प्रभाव एक अधिनियम/ कानून के समान होता है जिसे विधानमण्डल द्वारा बनाया गया हो।
(क) अवधि:- सत्र प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह 42 दिन तक
(ख) राज्यपाल अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है।
नोट - विशेष परिस्थिति में अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती

अनु 213 (3)

यदि अध्यादेश किसी अधिनियम पर प्रभाव डालता है तो वह उस सीमा तक शून्य माना जायेगा।

वर्ष	अध्यादेश	वर्ष	अध्यादेश
1949	49	2000	6
1950	16	2002	3
1952	4	2003	5
1953	3	2004	10
1954	6	2005	3
1955	17	2006	5
1956	11	2007	9
1957	12	2008	10
1958	12	2009	7
1959	5	2010	6
1960	21	2011	9
1987	17	2012	13
1988	20	2013	30
1989	8	2014	2
1990	5	2015	8
1991	13	2016	4
1992	2	2017	4
1994	7	2018	6
1995	2	2019	5
1996	2	2020	8
1997	1	2023	1
1998	2	2024	3
1999	8	2025	3

3. राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां

- राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य का बजट) को राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाए।
- धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- बिना राज्यपाल की सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती।
- वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहां के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है।
- पंचायतों एवं नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर पांच वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है।
- वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत करता है।

अनुच्छेद	विवरण
अनुच्छेद 200	धन विधेयक को पूर्वानुमति प्रदान करना।
अनुच्छेद 202	बजट को पूर्वानुमति प्रदान करना।
अनुच्छेद 203 (3)	राज्यपाल की: पूर्वानुमति से अनुदान की माँग पर मतदान होता है। वित्तीय आपातकाल में धन विधेयक राष्ट्रपति को भेजना।
अनुच्छेद 205	अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की माँग।
अनुच्छेद 243 (I और Y)	राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करना।
अनुच्छेद 267 (2)	राज्य आकस्मिक: निधि पर नियंत्रण। वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य को अग्रिम राशि देता है।

न्यायिक शक्तियाँ

अनुच्छेद	विवरण
अनुच्छेद 161	क्षमादान की शक्तियाँ
अनुच्छेद 217	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है।
अनुच्छेद 233	राज्यपाल जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करता है।
अनुच्छेद 234	राज्यपाल द्वारा राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों (जिला न्यायाधीशों के अलावा) की नियुक्ति के लिए समर्थन।

विशेष जानकारी

मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना-

- सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवम्बर 2004 के अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला बनता है, तो राज्यपाल उसके खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है, भले ही मंत्रिपरिषद ने ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया हो।

राज्यपाल का विवेकाधिकार

- संविधान में यह स्पष्ट है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा एवं इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा कि उसे विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं।
- राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार**
 - राष्ट्रपति के विचार हेतु किसी विधेयक को आरक्षित करना।
 - राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। (अनुच्छेद - 356)
 - जब पडोसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार हो उस समय कार्य करते समय।
 - असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रायल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद् को देय राशि का निर्धारण।
 - राज्य के विधानपरिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना।

अनुच्छेद	विवरण
अनुच्छेद 163 (3)	यह कथन मंत्रिपरिषद की सलाह की गोपनीयता और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा से संबंधित है। इसका अर्थ है कि किसी न्यायालय में यह जांच नहीं की जा सकती कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई सलाह दी थी या नहीं, और यदि दी थी तो उसकी विषयवस्तु क्या थी।
अनुच्छेद 164 (1)	मुख्यमंत्री की नियुक्ति त्रिशंकु सरकार (बहुमत नहीं हो)
अनुच्छेद 167	मुख्यमंत्री से विभिन्न विधायी व प्रशासनिक सूचनाएँ प्राप्त करना।
अनुच्छेद 174 (2)	विधानसभा को भंग करना। मंत्रिपरिषद् को बर्खास्त करना।
अनुच्छेद 175(2)	राज्यपाल को यह अधिकार है कि जब किसी राज्य सरकार के बहुमत को लेकर संदेह उत्पन्न हो जाए, तब वह मुख्यमंत्री या सत्तारूढ़ दल को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता/सकती है। इस प्रक्रिया को फ्लोर टेस्ट या बहुमत परीक्षण कहा जाता है।
अनुच्छेद 176	विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना।

राजनीतिक स्थिति के मामले में विवेकाधिकार :-

- विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने एवं उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में।

2. राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मसले पर। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना।

विशेष जानकारी

1. **हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक 1979**
 - ✦ निर्णय - 4 मई 1979
 - ✦ न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या राज्यपाल का पद अनुच्छेद 319 (घ) के अनुसार "भारत सरकार के अधीन रोजगार" की श्रेणी में आता है।
 - ✦ गहन विचार-विमर्श के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि राज्यपाल का पद एक उच्च संवैधानिक पद है, जो कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र है, और इसलिए इसे सरकार के अधीन रोजगार नहीं माना जा सकता।
2. **बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ वाद 2010**
 - ✦ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत 'सुविधा के सिद्धांत' के दायरे और अनुप्रयोग को स्पष्ट किया।
 - ✦ के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में गठित 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने निर्णय लिया कि राज्यपालों को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जायेगा। यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
 - ✦ न्यायालय इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या पद से हटाना वैध और तर्कसंगत आधारों पर आधारित था।
3. **एस. आर. बौम्मई बनाम भारत सरकार (1994) :-**
 - ✦ निर्णय - 11 मार्च 1994
 - ✦ कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस. आर. बौम्मई के फोन टैपिंग मामले से संबंध होने के कारण तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था जिसके कारण मामला उच्चतम न्यायालय में गया।
 - ✦ निर्णय - इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी भी राज्य की सरकार के बहुमत का निर्णय राजभवन में न होकर राज्य विधानमण्डल में होना चाहिए तथा राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका दिया जाना चाहिए।
4. **रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार (2006) :-**
 - ✦ इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विधानसभा चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं चाहे यह गठबंधन चुनाव पूर्ण हो या चुनाव बाद तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
5. **नबाम रेबिया बनाम सरकार (2016) :-**
 - ✦ वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है।
6. **पंजाब राज्य बनाम सचिव, पंजाब राज्यपाल -2023**
 - ✦ राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत सीमित विकल्पों के भीतर कार्य करना होता है और वे विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते।
7. **तमिलनाडु राज्य सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल (2025)-**
 - ✦ तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों पर अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत स्वीकृति न दिए जाने के कारण राज्य सरकार ने इसे संवैधानिक उल्लंघन बताया।
 - ✦ न्यायालय ने विधेयकों पर निर्णय लेने की एक समयसीमा भी निर्धारित की है- सामान्य विधेयकों पर एक माह के भीतर निर्णय और पुनर्विचारित विधेयकों पर तीन माह के भीतर निर्णय अनिवार्य होगा।
 - ✦ तमिलनाडु राज्यपाल बनाम राज्य सरकार (2025) यह राज्यपाल द्वारा बाध्यकारी है कि वह किसी विधेयक की सामान्य परिस्थितियों में 1 माह व अधिकतम 3 माह में अनुमति प्रदान करेगा।

राज्यपाल से संबंधित प्रमुख समितियां

प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति	1966
राज मन्मार समिति	1969
भगवान सहाय समिति	1970
सरकारिया आयोग	1983
वेंकट चलैया आयोग	2000
पुंछी आयोग	2007

- ❖ **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग**
 - ◆ गठन - 05 जनवरी, 1966
 - ◆ रिपोर्ट - 1969
 - ◆ अध्यक्ष - मोरारजी देसाई
- ❖ **सदस्य -**
 - (1) के. हनुमन्तैया, (2) हरिश्चन्द्र माथुर,
 - (3) जी.एस. पाठक, (4) एच.बी. कामथ।
- ◆ उद्देश्य - प्रशासनिक जाँच और आवश्यकतानुसार प्रशासन में सुधार एवं पुनर्गठन के संबंध में सिफारिशें हेतु।
- ❖ **प्रमुख सिफारिशें -**
 1. संविधान के अनुच्छेद-263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन किया जाए।
 2. राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएँ ताकि उनकी केन्द्र पर निर्भरता कम रहे।
 3. राज्यों की विधायी शक्तियों पर केन्द्र का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए तथा कुछ अन्य विषयों पर राज्यों को विधायी शक्तियाँ मिलनी चाहिए।
 4. अंतर्राज्यीय जल विवाद उत्पन्न होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर इसका निपटारा किया जाएगा।
- ❖ **राजमन्मार समिति**
 - ◆ गठन - 22 सितम्बर 1969
 - ◆ अध्यक्ष - पी.वी. राजमन्मार
 - ◆ सदस्य - (1) पी.सी. चन्द्रारेड्डी (2) लक्ष्मणस्वामी मुद्दिद्वयार
- ❖ **प्रमुख सिफारिशें -**
 1. अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर दिए जाने चाहिए अथवा उन पर विधि बनाने की शक्ति राज्यों को दे देनी चाहिए।
 2. अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए।
 3. राज्य सभा में मनोनीत सदस्यों (अनुच्छेद 80) का प्रावधान समाप्त कर देना चाहिए।
 4. राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व हो।
 5. अनुच्छेद 356, 357 एवं 365 (राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान) को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए।
 6. अनुच्छेद 249 (राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रीय महत्व के राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति) को समाप्त कर दिया जाए।
 7. संघ सूची एवं समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में हस्तान्तरित कर दिया जाए।
 8. राज्यपाल के प्रसादपर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है, उसे समाप्त कर दिया जाए।
 9. 'केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल' को संबंधित राज्य की सहमति के बिना उस राज्य में तैनात नहीं किया जाना चाहिए।
- ❖ **आनंदपुर साहिब प्रस्ताव-1973 :**
 - ◆ अकाली दल (पंजाब) ने केन्द्र राज्य संबंधों से जुड़े आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को वैदेशिक संबंध, प्रतिरक्षा, रेलवे, मुद्रा और संचार तक सीमित रखने की मांग की गई।
- ❖ **पश्चिम बंगाल ज्ञापन-1977 :** पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार को एक स्मृति-पत्र भेजा, जिसमें संविधान में अनेक संशोधनों की मांग करते हुए राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि की बात कही।

- ❖ **राज्यपाल के चयन से संबंधित सरकारिया आयोग के सुझाव**
- ❖ केन्द्र-राज्य संबंधों की गहन समीक्षा के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा **1983 में सरकारिया आयोग** का गठन किया गया। इसके तीन सदस्यों में आर. एस. सरकारिया (अध्यक्ष), एस. आर. सेन, व बी. शिवरमन शामिल थे।


प्रतिवेदन - जनवरी, 1988

- ❖ **प्रमुख सिफारिशें -**
- 1. अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो जिसे अंतर-सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए।
- 2. अनुच्छेद 356 (आपात उपबंध जिसे सामान्य शब्दों में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है) का प्रयोग बहुत संभलकर किया जाना चाहिए। इसका तभी प्रयोग हो जब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाएं।
- 3. जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए।
- 4. राष्ट्रीय विकास परिषद (N.D.C.) का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद (N.E.D.C) किया जाना चाहिए।
- 5. समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए।
- 6. राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- 7. राज्यपाल विधानसभा में बहुमत द्वारा गठित सरकार को भंग नहीं कर सकता है।
- 8. राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
- 9. बिना संसद की मांग के किसी राज्यमंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बिठाया जाना चाहिए।
- 10. राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केन्द्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होने चाहिए।
- 11. राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए।

- ❖ **राज्यपाल के चयन से संबंधित पुंछी आयोग के सुझाव**
- ❖ गठन - 2007
- ❖ अध्यक्ष - मदन मोहन पुंछी
- ❖ सदस्य - विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, एन.आर. माधवमेनन, विजय शंकर
- ❖ प्रतिवेदन - 2010
- ❖ राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जाये।
- ❖ राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाये।

- ❖ **राज्यपाल के संदर्भ में विभिन्न कथन**
- ❖ पट्टाभि सीतारमैया - 'राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं।'
- ❖ श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित - 'पद नहीं वेतन के आकर्षण के कारण ही कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना स्वीकार करता है।'
- ❖ सरोजिनी नायडू - वह 'सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है।'
- ❖ मारग्रेट अल्वा - 'राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए Headache है।'
- ❖ श्री प्रकाश- राज्यपाल को छूटी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

- ❖ **राजस्थान से संबंधित प्रमुख तथ्य**
- ❖ राजस्थान के अधिकतम अवधि व न्यूनतम अवधि तक राज्यपाल के पद पर आसीन।



- ❖ **राजस्थान की महिला राज्यपाल**

1.	प्रतिभा पाटिल	2004-2007
2.	प्रभा राव	2009-2010
3.	मारग्रेट अल्वा	2012-2014

- ❖ **राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ-**

1. दरबारा सिंह - 1998
 2. निर्मलचंद्र जैन - 2003
 3. शैलेन्द्र कुमार सिंह - 2009
 4. प्रभाराव - 2010, जो कि प्रथम महिला थी।
- ❖ **राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे -**
 1. सरदार हुकुम सिंह - (1962-67)
 2. बलिराम भगत - (1976-77)
 3. शिवराज पाटिल - (1991-96) (अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल)

- ❖ **राजस्थान के वे राज्यपाल जो किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे-**

1.	गुरुमुख निहाल सिंह	दिल्ली के मुख्यमंत्री
2.	मदनलाल खुराना	दिल्ली के मुख्यमंत्री
3.	सम्पूर्णानंद	उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री
4.	कल्याण सिंह	उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री
5.	एम. चेन्नारेड्डी	आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री
6.	वसंतराव पाटिल	महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
7.	दरबारा सिंह	पंजाब के मुख्यमंत्री

- ❖ **वे राज्यपाल जो लोकसेवा आयोग के सदस्य रहे -**

1. **रघुकुल तिलक**
 - 12 May 1977 से 8 Aug. 1981
 - राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे।
 - प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया।
 - तीसरे राष्ट्रपति शासन (1980) के समय राज्य के गवर्नर।
 - रेलवे सेवा चयन आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष थे।
2. **UPSC के सदस्य - स्वरूप सिंह**
 - संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे।
 - अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के प्रथम राज्यपाल।

- ❖ **राजस्थान के वे राज्यपाल जो किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष रहे है -**

1.	सरदार गुरुमुख निहाल सिंह	दिल्ली विधानसभा
2.	दरबारा सिंह	पंजाब विधानसभा
3.	धनिकलाल मण्डल	बिहार विधानसभा
4.	हरिभाऊ बागडे	महाराष्ट्र विधानसभा

- ❖ **राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया-**

1.	जोगिन्दर सिंह	1977 में
2.	बसंत राव पाटिल	1987 में
3.	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	1991 में
4.	मदनलाल खुराना	2004 में
5.	प्रतिभा पाटिल	2007 में

❖ राजस्थान के राज्यपाल जिन्होंने कार्यवाहक (10) व अतिरिक्त प्रभार (9) के रूप में कार्य किया-

कार्यवाहक राज्यपाल	अतिरिक्त राज्यपाल
1. जगत नारायण	1. स्वरूप सिंह (गुजरात)
2. वेदपाल त्यागी	2. धनिक लाल मंडल (हरियाणा)
3. के.डी. शर्मा	3. कैलाशपति मिश्र (गुजरात)
4. पी.के. बनर्जी	4. टी.वी. राजेश्वर (उत्तरप्रदेश)
5. डी.पी. गुप्ता	5. ए.आर. किदवई (हरियाणा)
6. जे.एस. वर्मा	6. रामेश्वर ठाकुर (मध्यप्रदेश)
7. मिलाप चन्द जैन	7. प्रभा राव (हिमाचल प्रदेश)
8. एन.एल. टिबेरवाल	8. शिवराज पाटिल (पजाब)
9. शैलेन्द्र कुमार सिंह	9. रामनाईक (उत्तरप्रदेश)
10. प्रभा राव	
11. मागरिट अल्वा	

❖ राजस्थान का राज्यपाल निम्न का अध्यक्ष होता है-

1. पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के अध्यक्ष।
2. राजस्थान रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष।
3. राजस्थान स्काउट एवं गाइड के संरक्षक।

4. राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष
5. भूतपूर्व सैनिकों हेतु समेकित निधि की प्रबंध समिति के अध्यक्ष।

गवर्नर रिलीफ फण्ड विनियम, 1973

- ❖ समस्त वैधानिक/प्रशासनिक प्रयोजनार्थ इस कोष का गठन 14 मार्च, 1973 को किया गया। उस समय जोगेन्द्र सिंह राज्य के राज्यपाल थे।
- ❖ **फण्ड का उद्देश्य-**
 1. अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता
 2. प्राकृतिक आपदाओं यथा अग्निकांड बाढ़ एवं दुर्घटना में सहायता
 3. प्रदेश में महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि तथा अन्य आपदा क्षेत्रों में फसल नुकसान, औषधि एवं उपकरणों हेतु सहायता।
 4. माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अन्य जो भी कारण उचित समझे, जहाँ तात्कालिक आवश्यकता हो।
- ❖ **फण्ड की आय के स्रोत-**
 1. किसी भी व्यक्ति /संस्था एवं निकाय से प्राप्त आर्थिक सहायता,
 2. कोष में संग्रहित पूँजी के बैंकों /निगमों में विनियोजन पर ब्याज,
 3. कोई भी अन्य वैधानिक योगदान।
- ❖ **फण्ड से व्यय-**
 - ❖ फण्ड से महामहिम राज्यपाल की आज्ञा एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया से व्यय किया जाता है।
 - ❖ नोट- गवर्नर रिलीफ फण्ड के अंतर्गत प्राप्त दान राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी की उप धारा 2 (a)(v) के अंतर्गत 50% की छूट दी जाती है।

राजस्थान के राज्यपाल

क्र. स.	राज्यपाल का नाम	कार्यकाल	विशेष विवरण
1.	राजप्रमुख सवाई मानसिंह	30 March 1949 से 31 Oct. 1956	राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राजप्रमुख पोलो के प्रमुख खिलाड़ी (इंडियन पोलो एसोसिएशन के अध्यक्ष) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कोर्ट के वंशानुगत सदस्य।
नोट:- राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। नवंबर 1956 को 7 वें संविधान संशोधन द्वारा राजप्रमुख की संस्था को समाप्त कर दिया गया। 25 अक्टूबर 1956 को श्री गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया।			
2.	सरदार गुरुमुख निहाल सिंह	1 Nov. 1956 से 15 April 1962	राजस्थान के प्रथम राज्यपाल - 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल। (सबसे लम्बा कार्यकाल) दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, रामजस कॉलेज, श्रीराम कॉलेज के प्राचार्य रहे।
3.	डॉ. संपूर्णानंद सिंह	16 April 1962 से 15 April 1967	राजस्थान के प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967) के समय गवर्नर थे। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भारत-चीन युद्ध (1962) के समय राजस्थान के राज्यपाल थे। डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के प्राचार्य रहे। प्रमुख कृति - समाजवाद एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। अध्यक्ष - नागरी प्रचारिणी सभा। सागानेर में खुली जेल का निर्माण करवाया था।
4.	सरदार हुकुम सिंह	16 April 1967 से 19 Nov. 1970	यह दो बार राज्यपाल रहे। संविधान सभा, अंतरिम संसद के सदस्य रहे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के समय प्रथमबार लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति दी। प्रमुख पुस्तकें - द स्पोक्समैन, द प्रोब्लम ऑफ सिख्स, द सिख केस।
5.	न्यायमूर्ति जगत नारायण	20 Nov. 1970 से 23 Dec. 1970	राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल।

6.	सरदार हुकुम सिंह	24 Dec. 1970 से 30 June 1972	दूसरी बार राज्यपाल।
7.	सरदार जोगिंदर सिंह	1 July 1972 से 14 Feb. 1977	प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। गर्वनर रिलीफ फंड विनियम-1973 गठन - 14 मार्च 1973 उद्देश्य- असुरक्षा एवं अभाव प्रभावित क्षेत्रों में सहायता, प्राकृतिक आपदाएँ, महामारी अति वृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि में सहायता। भारत में दूसरी बार आपातकाल के समय राज्यपाल। उड़ीसा एवं राजस्थान के राज्यपाल, नेशनल राइफल एसोसिएशन के महासचिव थे।
8.	न्यायमूर्ति श्री वेदपाल त्यागी	11 Feb. 1977 से 11 May 1977	द्वितीय न्यायमूर्ति जो राज्यपाल बने। द्वितीय कार्यवाहक राज्यपाल। यह द्वितीय राष्ट्रपति शासन (1977) के समय गवर्नर थे।
9.	रघुकुल तिलक	12 May 1977 से 8 Aug. 1981	राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया। तीसरे राष्ट्रपति शासन (1980) के समय राज्य के गवर्नर। रेलवे सेवा चयन आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष थे।
10.	न्यायमूर्ति श्री. के.डी. शर्मा	8 Aug. 1981 से 5 March 1982	IFS रहे।
11.	एयर चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा	6 March 1982 से 4 Jan. 1985	चीफ ऑफ एयर स्टॉफ रहे। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन के 5वें अध्यक्ष रहे। ड्रग्स कप एसोसिएशन के आजीवन अध्यक्ष। पुस्तक- मेमोरीज स्वीट एंड सौरा
12.	न्यायमूर्ति पी.के. बनर्जी	5 Jan. 1985 से 31 Jan. 1985	भारतीय फुटबाल टीम के कप्तान रहे।
13.	एयर चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा	1 Feb. 1985 से 3 Nov. 1985	
14.	न्यायमूर्ति डी.पी. गुप्ता	4 Nov. 1985 से 19 Nov. 1985	सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे।
15.	न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा	20 Nov. 1985 से 14 Oct. 1987	सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे।
16.	वसंत राव पाटिल	15 Oct. 1987 से 19 Feb. 1988	महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 1967 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष।
17.	सुखदेव प्रसाद	20 Feb. 1988 से 2 Feb. 1989	राज्यसभा सांसद रहे। केन्द्रीय मंत्री मण्डल में स्टील एवं माइन्स विभाग के उपमंत्री
18.	न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा	3 Feb. 1989 से 19 Feb. 1989	सुखदेव प्रसाद के चिकित्सा अवकाश के कारण राज्य के कार्यवाहक राज्य के दो बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे।
19.	सुखदेव प्रसाद	20 Feb. 1989 से 2 Feb. 1990 तक	
20.	मिलाप चंद जैन	3 Feb. 1990 से 13 Feb. 1990	राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। राजीव गांधी हत्याकाण्ड में बने जाँच आयोग के अध्यक्ष।
21.	प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	14 Feb. 1990 से 25 Aug. 1991	भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग के प्रथम भारतीय सह अध्यक्ष बने। भारत-यूगोस्लाविया, भारत-चेकोस्लाविया, संयुक्त आयोग के सह-अध्यक्ष रहे। इण्डियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफी रिसर्च के अध्यक्ष रहे।
22.	डॉ. स्वरूप सिंह	26 Aug. 1991 से 4 Feb. 1992	संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे। अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के प्रथम राज्यपाल।
23.	डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी	5 Feb. 1992 से 30 May 1993	आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चौथे राष्ट्रपति शासन (1992) के समय राजस्थान के गवर्नर थे। तेलंगाना आन्दोलन के प्रमुख नेता।
24.	धनिकलाल मंडल	31 May 1993 से 29 June 1993	बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे।
25.	बलिराम भगत	30 June 1993 से 30 April 1998	लोकसभा अध्यक्ष रहे। भारत के विदेश मंत्री एवं रक्षामंत्री

			हिमाचल प्रदेश यो पूर्व राज्यपाल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। प्रमुख पुस्तकें - नॉन अलाइनमेंट : प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, कॉमनवेल्थ टूडे
26.	सरदार दरबारा सिंह	1 May 1998 से 23 May 1998	सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे। पोकरण परीक्षण के समय राज्यपाल थे।
27.	एन.एल. टिबरेवाल	24 May 1998 से 15 Jan. 1999	राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल
28.	न्यायमूर्ति श्री. अंशुमान सिंह	16 Jan. 1999 से 13 May 2003	इलाहाबाद एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजस्थान राज्य विधिक सेवा अधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष चार बार राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल
29.	निर्मल चन्द्र जैन	14 May 2003 से 22 Sept. 2003	पद पर रहते हुए मृत्यु मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता केन्द्रीय वित्त आयोग के सदस्य
30.	कैलाशपति मिश्र	22 Sept. 2003 से 13 Jan. 2004	
31.	मदन लाल खुराना	14 Jan. 2004 से 31 Oct. 2004	दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे दिया। राजस्थान में जनता दरबार दिल्ली का शेर। भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के अध्यक्ष
32.	टी.वी. राजेश्वर	01 Nov. 2004 से 07 Nov. 2004	IPS अधिकारी जो आईबी के भूतपूर्व अध्यक्ष थे अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल। अतिरिक्त प्रभार के रूप में न्यूनतम कार्यकाल
33.	श्रीमती प्रतिभा पाटिल	08 Nov. 2004 से 23 June 2007	राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। राज्यसभा व लोकसभा दोनों सदनों में सदस्य रही। जलगांव शुगर फैक्ट्री की चीफ प्रोमोटर एवं अध्यक्ष।
34.	डॉ. ए. आर. किदवई	23 June 2007 से 05 Sept. 2007	संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। जम्मू कश्मीर बैंक के निदेशक एवं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व सदस्य
35.	श्री शेलेन्द्र कुमार सिंह	06 Sept. 2007 से 01 Dec. 2009	न्यूयार्क में UNO में "परमानेंट मिशन ऑफ इण्डिया" के सदस्य। पाकिस्तान, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान, अफगानिस्तान में राजदूत के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष। स्टडी ऑफ इण्डिया के महासचिव। इनका भी निधन पद पर रहते हुआ।
36.	श्री रामेश्वर ठाकुर	10 July, 2009 से 22 July, 2009	मध्यप्रदेश के राज्यपाल रहे।
37.	श्री शेलेन्द्र कुमार सिंह	Dec. 23 July, 2009 से 01 Dec. 2009	
38.	श्रीमती प्रभा राव	03 Dec. 2009 से 24 Jan. 2010	अतिरिक्त प्रभार के रूप में
39.	श्रीमती प्रभा राव	25 Jan. 2010 से 26 April 2010	25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 तक राजस्थान की कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त हुई। पद पर रहते हुए मृत्यु।
40.	श्री शिवराज पाटिल	28 April 2010 से 11 May 2012	भारत के गृह एवं रक्षामंत्री लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा में प्रश्नकाल की ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग शुरू की। काउन्सिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष।
41.	श्रीमती मागरिट अल्वा	12 May 2012 से 07 Aug. 2014	राज्यसभा की उपसभापति रही।

			महिला सशक्तीकरण की संसदीय समिति की अध्यक्ष। स्थानीय निकायों में महिलाओं के 33% प्रतिशत आरक्षण एवं 84वें संविधान संशोधन प्रस्ताव के लिए बनी चयन समिति में योगदान। नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड की उप-सभापति सीओल में महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा के विरुद्ध बैठक में ESCAPE के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
42.	श्री राम नाइक	08 Aug. 2014 से 03 Sept. 2014	राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य प्रोटोकॉल की व्यवस्था में संशोधन किया। 2014 के बाद राज्यपाल के लिए 'His Excellency', 'महामहिम' शब्द का प्रयोग नहीं करके 'Honourable' माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय शब्द का प्रयोग किये जाने का प्रावधान किया।
43.	श्री कल्याण सिंह	04 Aug. 2014 से 02 Sept. 2019	राजस्थान के राज्यपाल तथा हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार। बाबरी मस्जिद दंगों के समय उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।
44.	श्री कलराज मिश्र	09 Sept. 2019 से 30 July 2024	सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन के संयोजक राजस्थान से पूर्व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। संविधान पार्क, इन्फॉर्मास, वाइस चांसलर्स लीव एप्प, सुगम एप्प व अजोला से संबंधित नवाचार किये। पुस्तकें - 1. Judicial Accountability 2. हिंदुत्व एक जीवन शैली 3. संविधान संस्कृति और राष्ट्र
45.	हरिभाऊ किशनराव वागडे	31 July 2024 से वर्तमान तक (व्यक्तिगत क्रमानुसार- 22वें पदानुसार - 45वें)	उपनाम - नाना। नियुक्ति - 27 जुलाई, 2024 जन्म - 17-08-1945 को चित्तेपिम्पल गांव औरंगाबाद में हुआ। औरंगाबाद के फुलब्री विधानसभा से 5 बार विधायक रहे हैं। वर्ष 1995-1997 तक महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना और बागवानी मंत्री तथा 1997-1999 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (22 जुलाई से 18 सितम्बर 2019) रह चुके हैं। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे।

क्र. स.	राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की अवधि	राज्यपाल	मुख्यमंत्री	कारण	राष्ट्रपति	अवधि
1.	13 मार्च, 1967 से 26 अप्रैल, 1967 तक (सबसे कम समय तक)	सम्पूर्णानंद (लागू) सरदार हुकुमसिंह (समाप्त)	मोहनलाल सुखाडिया	अस्पष्ट बहुमत के कारण	डॉ. एस. राधाकृष्णन	44 दिन
2.	30 अप्रैल, 1977 से 21 जून, 1977 तक	वेदपाल त्यागी (लागू) कार्यवाहक रघुकुल तिलक (समाप्त)	हरिदेव जोशी	राजनीतिक दुर्भावना	बी.डी. जत्ति (कार्यवाहक राष्ट्रपति)	53 दिन
3.	17 फरवरी, 1980 से 5 जून, 1980 तक	रघुकुल तिलक (लागू- समाप्त)	भैरोसिंह शेखावत	राजनीतिक दुर्भावना	नीलम संजीव रेड्डी	110 दिन
4.	15 दिसम्बर, 1992 से 3 दिसम्बर, 1993 तक (सबसे लंबा)	एम. चैन्नारेड्डी (लागू) धनिक लाल मण्डल बलिराम भगत (समाप्त)	भैरोसिंह शेखावत	बाबरी मस्जिद के दंगों के कारण	शंकर दयाल शर्मा	354 दिन

राज्यपाल व उनके समय बने मुख्यमंत्रियों की सूची

राज्यपाल	मुख्यमंत्री
सवाई मानसिंह - II (राजप्रमुख)	हीरालाल शास्त्री
सवाई मानसिंह - II (राजप्रमुख)	सी.एस. वेंकटाचारी
सवाई मानसिंह - II (राजप्रमुख)	जयनारायण व्यास (1951-52, 1952-54)
सवाई मानसिंह - II (राजप्रमुख)	टीकाराम पालीवाल (1952)
1. सवाईमानसिंह (राजप्रमुख) 2. गुरुमुख निहालसिंह 3. सम्पूर्णानंद 4. हुकुम सिंह 5. जगतनारायण	मोहनलाल सुखाडिया (1954-71)
1. हुकुम सिंह 2. जोगिन्दर सिंह	बरकतुल्ला खाँ (1971-73)
1. जोगिन्दर सिंह 2. वेदपाल त्यागी 3. ओ.पी. मेहरा 4. डी.पी गुप्ता 5. जे.एस. वर्मा 6. बसंतराव पाटिल 7. सुखदेव प्रसाद 8. मिलापचंद जैन 9. देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	हरिदेव जोशी (1973-77, 1985-88, 1989-90)
1. रघुकुल तिलक 2. देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय 3. स्वरूप सिंह 4. एम. चेन्नारेड्डी 5. बलिरात भगत 6. दरबारा सिंह 7. एन.एल. टिबरेवाल	भैरोसिंह शेखावत (1977-80, 1990-92, 1993-98)
रघुकुल तिलक	जगन्नाथ पहाडिया (1980-1981)
1. रघुकुल तिलक 2. के.डी. शर्मा 3. ओ.पी. मेहरा 4. पी.के. बनर्जी 5. वसंतकुमार पाटिल 6. सुखदेव प्रसाद 7. जे.पी. वर्मा	शिवचरण माथुर (1981-85, 1988-89)
ओ.पी. मेहरा	हीरालाल देवपुरा (1985)
1. कैलाशपति मिश्र 2. मदनलाल खुराना 3. टी.वी. राजेश्वर 4. प्रतिभा पाटिल 5. ए.आर. किदवई 6. शैलेन्द्र कुमार सिंह 7. मार्गरेट अल्वा 8. रामनाइक 9. कल्याण सिंह	वसुंधरा राजे (2003-08, 2013-18)
1. एन.एल. टिबरेवाल 2. अंशुमान सिंह 3. निर्मल चंद्र जैन 4. कैलाशपति मिश्र 5. शैलेन्द्र कुमार सिंह 6. प्रभा राव 7. शिवराज पाटिल 8. मार्गरेट अल्वा 9. कल्याण सिंह 10. कलराज मिश्र	अशोक गहलोत (1998-2003, 2008-13, 2018-2023)
1. कलराज मिश्र 2. हरिभाऊ बागड़े	भजनलाल शर्मा

अभ्यास प्रश्न

- निम्न में से कौन-सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है?
(a) राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों से लिये गये निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
(b) राज्यपाल को मृत्युदंड के दण्डादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है।
(c) राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिये राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है।
(d) राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। [d]
- राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य हैं-
A. राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियाँ औपचारिक रूप से उनके नाम पर की जाती है।
B. वह राज्य के प्रशासन से सम्बन्धित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते हैं।
C. वह राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं।

- D. वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें :
(a) केवल B, A और C (b) केवल A, B और D
(c) केवल B, C और D (d) केवल A, C और D [d]
- राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
A. श्री रघुकुल तिलक B. श्री सुखदेव प्रसाद
C. डॉ. सम्पूर्णानंद D. डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी
नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें:
(a) C, B, D, A (b) C, A, B, D
(c) A, B, C, D (d) B, C, A, D [b]
- निम्न में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(a) अनुच्छेद 155 - राज्यपाल की नियुक्ति
(b) अनुच्छेद 156 - राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ
(c) अनुच्छेद 158 - राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
(d) अनुच्छेद 159 - राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान [b]

5. राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
- (1) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
(2) उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
(3) उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए।
(4) वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
(a) 3 तथा 4 सही हैं। (b) 1, 2 तथा 4 सही हैं।
(c) 1, 2 तथा 3 सही हैं। (d) 2 तथा 3 सही हैं। [b]
6. निम्नांकित में से कौन-सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं?
- i. वह भारत का नागरिक है।
ii. वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।
iii. वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
iv. वह पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।
(a) केवल i और iv (b) केवल ii और iii
(c) केवल i, ii और iii (d) i, ii, iii और iv [b]
7. किसी राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) के संबंध में सही कथन का चयन करें
1. उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।
2. वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं।
3. उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित है।
4. सामान्यतः वे पाँच वर्ष के लिए पद पर रहते हैं।
(a) 1, 2, 3 (b) 1, 2, 4
(c) 2, 3, 4 (d) 1, 2 [c]
8. कौन-कौन-से कार्य राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं?
1. विधानसभा का सत्रावसान करना
2. विधानसभा भंग करना
3. विधानसभा की बैठक स्थगित करना
4. विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना
(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) केवल 1, 2 और 4 [d]
9. राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
- A. वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं।
B. वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं।
C. वह इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं।
D. उन्हें संविधान के अन्तर्गत कोई स्व-विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) A, B, C और D (b) B, C और D
(c) केवल C (d) B और C दोनों [c]
10. कौन-सा विकल्प सही है?
1. राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। (अनुच्छेद 200)
2. राष्ट्रपति, राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। (अनुच्छेद-201)
(a) कथन 1 सही है। (b) कथन 2 सही है।
(c) 1 एवं 2 दोनों सही हैं। (d) 1, 2 दोनों गलत हैं। [c]
11. भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से सम्बन्धित अनुच्छेदों के सन्दर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए -
- | राज्यपाल की शक्ति | अनुच्छेद |
|--|--------------|
| (I) क्षमा दान की राज्यपाल की शक्ति | अनुच्छेद 162 |
| (II) अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति | अनुच्छेद 214 |
| (III) विधेयकों पर अनुमति | अनुच्छेद 200 |
| (IV) राज्य के विधानमण्डल के सत्र, सत्रावसान और विघटन | अनुच्छेद 174 |

- (a) (I), (II) एवं (III) सही हैं।
(b) (I), (II), (III) एवं (IV) सही हैं।
(c) (I) एवं (II) सही हैं।
(d) (III) एवं (IV) सही हैं। [d]
12. राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्न में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. राज्यपाल को अनुसूचितों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।
2. राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद् के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते है।
3. राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है।
4. राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एस.टी. के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित और प्रतिबंधित कर सकता है।
(a) केवल 1 सही है। (b) 1, 2 और 4 सही है।
(c) 1, 3 और 4 सही हैं। (d) 2 और 4 सही हैं। [c]
13. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
- कथन I: राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
कथन II: मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
- (a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(b) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(c) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(d) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है। [a]
14. राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन-से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है?
1. महाधिवक्ता 2. राज्य निर्वाचन आयुक्त
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 [b]
15. सूची - I को सूची - II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए-
- | सूची - I मुख्यमंत्री | सूची - II राज्यपाल |
|-----------------------|--------------------------|
| (A) भैरों सिंह शेखावत | (i) रघुकुल तिलक |
| (B) बरकतुल्लाह खान | (ii) सरदार जोगिन्दर सिंह |
| (C) मोहन लाल सुखड़िया | (iii) डॉ. सम्पूर्णानंद |
| (D) वसुन्धरा राजे | (iv) मदनलाल खुराना |
- (a) A-i, B-ii, C-iii, D-iv (b) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(c) A-i, B-ii, C-iv, D-iii (d) A-ii, B-iv, C-i, D-iii [a]
16. राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में कौन-सा कथन सही है?
- (a) वे 2014-2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे।
(b) वे दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे।
(c) वे 2009-2011 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे थे।
(d) वे 22.07.2019 से 09.09.2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। [a]




मुख्यमंत्री

- ❖ **संवैधानिक आधार: राज्य शासन में मुख्यमंत्री की भूमिका**
- ❖ राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति के समान होती है।
- ❖ मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया हैं। (राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है)
- ❖ **संवैधानिक प्रावधान**

अनुच्छेद 163(1)	राज्यपाल की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री
अनुच्छेद 163 (2)	राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां
अनुच्छेद 163(3)	मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जाँच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जायेगी।
अनुच्छेद 164(1)	मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर
अनुच्छेद 164 (1a)	मंत्रिपरिषद् का आकार व संरचना।
अनुच्छेद 164 (1b)	दलबदल के दोषी व्यक्ति के मंत्री नहीं बनाया जाएगा। मूल संविधान में दलबदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया था।
अनुच्छेद 164 (2)	मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के / निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी
अनुच्छेद 164 (3)	मंत्रियों की शपथ राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में
अनुच्छेद 164 (4)	एक व्यक्ति जो ना तो विधानसभा सदस्य हो, ना विधानपरिषद् सदस्य हो मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है बशर्ते वह 6 माह में विधानसभा सदस्य या विधानपरिषद् सदस्य चुना जाना चाहिए।
अनुच्छेद 164 (5)	मंत्रियों के वेतन/भत्ते दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट

- ❖ **मुख्यमंत्री की स्थिति**
- ❖ सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है।



- ❖ **अनुच्छेद 163 (1):** जिन बातों में संविधान द्वारा राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
- ❖ संविधान में मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद् के मुखिया के रूप में उल्लेखित किया गया है।

अनुच्छेद 164 : मंत्रियों से संबंधित प्रमुख प्रावधान

- ❖ **अनुच्छेद 164 (1) :** राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।
- ❖ राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है लेकिन यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल स्वविवेक से कर सकता है और सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तथा उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता बल्कि वह उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जिसकी सलाह मुख्यमंत्री उसे देगा।
- ❖ 'मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।'
- ❖ राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त से यह तात्पर्य है कि राज्यपाल किसी मंत्री को बिना किसी प्रक्रिया के तथा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पद से हटा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है।

नोट:- अनुच्छेद 164 (1) में 4 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखण्ड, (94वां संविधान संशोधन 2006) मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा में अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होने का प्रावधान किया गया है जो जनजातियों के साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का भी भारसाधक हो सकेगा। 94वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा बिहार के स्थान पर छत्तीसगढ़ व झारखण्ड को शामिल किया गया।

- ❖ **अनुच्छेद 164 (1) क-** 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15% तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 होंगे।

- ❖ **राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 1+29 हो सकती है।**
- ❖ **अनुच्छेद 164 (1) ख-** 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि - यदि किसी राजनीतिक दल का विधायक (विधानसभा/विधानपरिषद् का सदस्य) **दसवीं अनुसूची के पैरा-2** (यानि दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) के अंतर्गत **सदस्यता खो देता है**, तो वह व्यक्ति जिस दिन से अयोग्य घोषित हुआ है, उसी दिन से लेकर उस दिन तक जब तक उसकी सामान्य अवधि पूरी होती, उस दौरान वह **मंत्री या मुख्यमंत्री** के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।

नोट- अनुच्छेद 75 (1) ख तथा 164 (1) ख में 'राजनीतिक दल' शब्द का उल्लेख है।

- ❖ **अनुच्छेद 164 (2) :** 'मंत्रिपरिषद् राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।'
- ❖ सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है अगर विधानसभा मंत्रिपरिषद् के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, चाहे वे विधानपरिषद् से ही क्यों न हों। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व का यह सिद्धांत 'साथ-साथ तैरते हैं तथा साथ-साथ डूबते हैं' के सिद्धांत पर आधारित है।

- सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत है। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद्, लोकप्रिय सदन (निम्न सदन) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

विशेष तथ्य :-

- विधानसभा नियमावली के नियम 132 के अनुसार मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/5 भाग (40 सदस्य) सदस्यों के समर्थन से लाया जा सकता है।

- अनुच्छेद 164 (3) :** 'किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।'

- अनुच्छेद 164 (4) :** कोई मंत्री जो निरन्तर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमण्डल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री/मुख्यमंत्री नहीं रहेगा।

- किसी मंत्री का इस पद पर नियुक्ति के समय विधानमण्डल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है लेकिन नियुक्ति तिथि से 6 माह की अवधि में उसे विधानमण्डल के किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। कोई व्यक्ति विधानमण्डल की सदस्यता के बिना अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है।

स्मरणीय तथ्य :


- यदि मुख्यमंत्री विधानमण्डल के उच्च सदन का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है।
- यदि मुख्यमंत्री मनोनीत है तो भी वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता।
- यदि मुख्यमंत्री विधानमण्डल के उच्च सदन यानि विधानपरिषद् का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता।

- अनुच्छेद 164 (5) :** के अनुसार मंत्रियों को उस मात्रा में वेतन तथा भत्ते देय होंगे, जो उस राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे। जब तक उस राज्य का विधानमण्डल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है, तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

कार्यकाल - संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल से संबंधित कोई निश्चित प्रावधान नहीं है।

- मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता वह राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
- परन्तु राज्यपाल मुख्यमंत्री को तब तक पद से हटा नहीं सकता जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है।
- यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत खो देता है तब उसे त्यागपत्र देना होता है अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।
- मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री की भूमिका व शक्तियां



मंत्रिपरिषद् के संबंध में शक्तियां

- मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है।
- वह मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है।
- मतभेद होने पर किसी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।
- वह मंत्री परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं मंत्रिपरिषद् के निर्णयों को प्रभावित करता है।
- वह सभी मंत्रियों के कार्यकलापों में सहयोग, निर्देश व मार्गदर्शन करता है।
- मुख्यमंत्री त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद् को समाप्त कर सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष होता है और इसके त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद् अपने आप विघटित हो जाती है।

राज्यपाल के संबंध में शक्तियां

- मुख्यमंत्री-** राज्यपाल व मंत्रीपरिषद् के मध्य कड़ी/मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह-

- मुख्यमंत्री, राज्य के प्रशासन संबंधी कार्यों एवं विधायी प्रस्तावों जैसे निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे।
- जब राज्यपाल राज्य के प्रशासन सम्बन्धी कार्यों एवं विधायी प्रस्तावों की जानकारी मुख्यमंत्री से मांगे तो वह दे।
- कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो किन्तु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किये जाने पर मंत्रिपरिषद् के समक्ष विचार हेतु रखे।

राज्य विधानमंडल के संबंध में शक्तियां

- मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में सदन का नेता होता है उसे निम्न शक्तियां प्राप्त हैं :-
- राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं स्थगित करने के संबंध में सलाह दे सकता है।
- वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है।
- वह सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है।

अनुच्छेद 166 : राज्य की सरकार के कार्य का संचालन।

- राज्य सरकार के द्वारा किये गये समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किये गये माने जाएंगे।
- राज्य सरकार के द्वारा किये गये कार्यों को इस आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि उन्हें राज्यपाल द्वारा नहीं किया गया है।
- राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाता है।

कार्य आवंटन: राजस्थान कार्यविधि नियम के नियम संख्या -5 के अनुसरण में राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों के मध्य एक या अधिक विभागों में सरकार के कार्यों का आवंटन करता है।

- किसी मंत्री के साथ सम्बद्ध राज्यमंत्री/उपमंत्री को मुख्यमंत्री के अनुमोदन से विभागीय कार्य का आवंटन संबंधित मंत्री करता है।
- स्वतंत्र प्रभार युक्त राज्यमंत्री मुख्यमंत्री के अनुमोदन से सम्बद्ध उपमंत्री को विभागीय कार्यों का आवंटन करता है।

मुख्यमंत्री निम्नलिखित निकायों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करता है :

- राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष।
- क्षेत्रीय परिषद् के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
- मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
- नीति आयोग के सदस्य होते हैं।
- अंतर्राज्यीय परिषद् के सदस्य होते हैं।

6. राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं।
7. राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।
8. आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है।
9. नियोजन विभाग अध्यक्ष होता है।
10. राज्य का नेता होने के नाते जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है एवं उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन लेता है। वह राज्य सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है।

विशेष जानकारी

- ❖ **मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO)**
- ❖ स्थापना: 1951
- ❖ मुख्यमंत्री कार्यालय (Chief Minister's Office - CMO) राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं समन्वयकारी कार्यालय है।
- ❖ इसका राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
- ❖ **प्रशासनिक प्रमुख-**
- ❖ अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) एवं प्रधान सचिव (Principal Secretary) स्तर के IAS अधिकारी।

- ❖ वर्तमान में अखिल अरोड़ा CMO के प्रशासनिक प्रमुख हैं, जो ACS रैंक के अधिकारी हैं।

विशेष तथ्य:-

- ❖ वर्ष 2004 में पहली बार डी.सी. सामन्त (ACS रैंक) को मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त किया गया था।

प्रमुख कार्य-


- ❖ मुख्यमंत्री को नीति निर्माण एवं निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना।
- ❖ मुख्यमंत्री सहायता कोष का संचालन एवं प्रबंधन करना।
- ❖ विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय एवं निगरानी करना।
- ❖ जन शिकायतों का निस्तारण एवं समाधान सुनिश्चित करना।
- ❖ मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना।
- ❖ राज्य प्रशासन और मुख्यमंत्री के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
- ❖ शासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएँ एवं प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराना।

राजस्थान के मुख्यमंत्री एक नजर में

क्र. स.	मुख्यमंत्री	कार्यकाल	महत्त्वपूर्ण तथ्य
1.	हीरालाल शास्त्री (जयपुर)	7 अप्रैल, 1949 - 5 जनवरी, 1951	<ul style="list-style-type: none"> • वनस्थली विद्यापीठ (टोंक) की स्थापना। • 1947 में संविधान सभा के सदस्य मनोनीत हुए। • 1948 में जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री बनें। • लोक सभा सदस्य भी रहे।
2.	कदांबी शेषाटार वैकटाचार्य सी.एस. वैकटाचार्य (कनार्टक)	6 जनवरी, 1951 - 25 अप्रैल, 1951	<ul style="list-style-type: none"> • हीरालाल शास्त्री के त्यागपत्र के बाद जब राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया तो प्रशासनिक अधिकारी C.S. वैकटाचारी को मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया गया। • कनाड़ा के उच्चायुक्त थे। • यह बीकानेर एवं जोधपुर रियासत में प्रधानमंत्री भी रहे। • राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय व राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सचिव रहें। • प्रमुख लेखन - Witness to the Century
3.	जयनारायण व्यास (जोधपुर)	26-04-1951 से 03-03-1952	<ul style="list-style-type: none"> • मारवाड़ हितकारिणी सभा, जोधपुर प्रजामण्डल, यूथ लीग मारवाड़ लोक परिषद् के संस्थापक रहे। • 1948 में जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने। • राज्यसभा सदस्य भी रहे तथा इसी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। • मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव हार गये।
4.	टीकाराम पालीवाल (दौसा)	03-03-1952 से 31-10-1952	<ul style="list-style-type: none"> • तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के 1952 के आम चुनावों में अपनी दोनों सीटों (जालौर-ए व जोधपुर सीटी-बी विधानसभा क्षेत्र) से चुनाव हारने के कारण टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। (केयरटेकर/कामचलाऊ सरकार) • 1952 के आम चुनाव में टीकाराम पालीवाल 2 सीटों (महुआ व मलारना चौड़) से निर्वाचित हुए। • मलारना चौर विधानसभा की सीट छोड़ी तथा महुआ से विधायक रहे। • राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने के बाद उपमुख्यमंत्री बने। • 1962 में गठित भ्रष्टाचार निरोधक समिति (संथानम समिति) के सदस्य रहे।
5.	जयनारायण व्यास	01-11-1952 से 12-11-1954	<ul style="list-style-type: none"> • किशनगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक चांदमल मेहता के त्यागपत्र देने के बाद वहां हुए उपचुनाव में जयनारायण व्यास विजयी रहे तथा राज्य के मुख्यमंत्री बने। • राज्य के निर्वाचित एवं मनोनीत मुख्यमंत्री रहे।


राज्य विधानमण्डल

- विधानमण्डल का उल्लेख संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 168 से 212 के अन्तर्गत किया गया है।
- अनु. 168-** प्रत्येक राज्य का एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों तथा शेष राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। प्रत्येक राज्य में विधानमण्डलों में दो सदनों का होना आवश्यक नहीं है।



नोट- पहले जम्मू-कश्मीर राज्य में भी द्विसदनात्मक विधानमण्डल था, लेकिन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर, 2019 से केन्द्रशासित प्रदेश बन गया।

- भारत के 22 राज्यों में एक सदननात्मक विधानमण्डल (राज्यपाल+विधानसभा) है।
- नोट-** राजस्थान राज्य सरकार द्वारा विधान परिषद के गठन के लिए 18 अप्रैल, 2012 को एक प्रस्ताव पारित किया गया। 6 अगस्त, 2013 को राज्यसभा में राजस्थान, विधानपरिषद विधेयक पेश किया गया। इसके बाद इस विधेयक को शांताराम नायक की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति को सौंपा गया। इस समिति के अन्य सदस्य अर्जुन राम मेघवाल व भूपेन्द्र यादव तथा अभिषेक मनु सिंघवी थे।
- अनुच्छेद - 169** - राज्यों में विधानपरिषदों का उत्सादन (समाप्त) या सृजन (निर्माण) करना



- संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के समक्ष रखा जाता है। यदि संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो विधानपरिषद् का निर्माण समाप्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद - 170 - विधानसभाओं की संरचना

- विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य व न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं।

- भारत के राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम सीटों की संख्या इस प्रकार है -

उत्तर प्रदेश - 403 सीटें पश्चिम बंगाल - 294 सीटें
महाराष्ट्र - 288 सीटें

- भारत के राज्यों की विधानसभाओं में न्यूनतम सीटों वाले राज्य - सिक्किम - 32 सीटें, मिजोरम - 40 सीटें, गोवा - 40 सीटें

- 42वें संविधान संशोधन 1976** द्वारा सीटों के आवंटन हेतु 1971 की जनगणना को निर्धारित कर दिया (2001 ई. तक)।
- 84वें संविधान संशोधन 2001** द्वारा सीटों के आवंटन हेतु 2026 ई. तक 1971 की जनगणना को निर्धारित कर दिया गया। लेकिन यह प्रावधान किया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है।
- 87वें संविधान संशोधन 2003** द्वारा परिसीमन हेतु 2001 की जनगणना को निर्धारित किया गया।

राजस्थान विधानसभा की संरचना

- प्रावधान - अनुच्छेद-170
- अधिकतम - 500 विधायक (MLA)
- न्यूनतम - 60 विधायक (MLA)
- नोट-** 1952 में विधानसभा सदस्य / विधानसभा क्षेत्र - 160
- 1956 में (अजमेर के विलय पर) 190 सीटें (160+30)
- द्वितीय और तृतीय विधानसभा - 176 सीटें
- चतुर्थ और पंचम विधानसभा - 184 सीटें
- षष्ठ विधानसभा (1977)- 200 सीटें
- वर्तमान विधानसभा क्षेत्र - 200

- निर्वाचन :** विधानसभा में सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है।
- सदस्यों का निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से गुप्त मतदान प्रणाली से होता है।
- विधानसभा सदस्य प्रादेशिक प्रतिनिधित्व करते हैं तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय होता है।

नोट:- राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है।

विधानसभा में आरक्षण : अनुच्छेद - 332

- विधानसभा में SC तथा ST को आरक्षण प्रदान किया गया है।
- वर्ष 2002 में राज्य की लोकसभा व विधानसभा की सीटों के पुनर्गठन के लिए जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग गठित किया गया है। इस आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में अनुसूचित जाति की 34 तथा अनुसूचित जनजाति की 25 सीटें विधानसभा में आरक्षित की गईं।

नोट:- अनुच्छेद 333 के अन्तर्गत यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है।

- 104वें संविधान संशोधन, 2019 द्वारा इस प्रावधान को निष्प्रभावी कर दिया गया है।
- राजस्थान में एक बार भी आंग्ल भारतीय सदस्य विधानसभा में मनोनीत नहीं हुआ है।

- ❖ **अनुच्छेद 171 : विधानपरिषदों की संरचना**
- ◆ विधान परिषद् में अधिकतम सीटें, उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 33% से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम सीटें 40 से कम नहीं हो सकती।
- नोट-** यदि राजस्थान में विधान परिषद् बनती है तो अधिकतम सीटें 66 होगी।
- ◆ विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचक मण्डल द्वारा होगा, जिसके सदस्य निम्न प्रकार होंगे।
- ❖ **कुल सदस्य संख्या का**
- ◆ 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होंगे जो वर्तमान में विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।
- ◆ 1/3 सदस्य राज्य की नगरपालिका, जिला बोर्ड एवं अन्य स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होंगे।
- ◆ 1/12 सदस्य तीन वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित।
- ◆ 1/12 माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में तीन वर्षों से शिक्षणरत अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित।

- ◆ 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत (नाम निर्देशित) किये जाते हैं जो अनुच्छेद 171 (5) के उपबंधों के अनुसार साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता एवं समाज सेवा में अनुभव या व्यवहारिक ज्ञान रखते हों।
- ◆ विधान परिषद् के 1/6 सदस्यों का मनोनयन तथा 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है।
- ◆ विधानपरिषद् के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है।

राज्य	-	विधान परिषद् सीटें
उत्तर प्रदेश	-	100
महाराष्ट्र	-	78
बिहार	-	75
कर्नाटक	-	75
आन्ध्र प्रदेश	-	58
तेलंगाना	-	40

राजस्थान विधानमंडल : प्रमुख अनुच्छेद (168-212)

विधानमंडल	अनुच्छेद 168 – राज्यों के विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 169 – विधान परिषद् का उन्मूलन या सृजन अनुच्छेद 170 – विधान सभा की संरचना अनुच्छेद 171 – विधान परिषद् की संरचना अनुच्छेद 172 – विधान सभाओं की अवधि अनुच्छेद 173 – सदस्य बनने की योग्यता
विधानमंडल के सत्र	अनुच्छेद 174 – सत्र, सत्रावसान एवं विघटन अनुच्छेद 175 – राज्यपाल का विशेष संदेश अनुच्छेद 176 – राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 177 – मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार
विधानसभा / विधान परिषद् के पदाधिकारी	अनुच्छेद 178 – विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुच्छेद 179 – अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना अनुच्छेद 180 – अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के कर्तव्य अनुच्छेद 181 – अध्यक्ष का मतदान अनुच्छेद 182 – विधान परिषद् के सभापति व उपसभापति अनुच्छेद 183 – सभापति/उपसभापति का पद रिक्त होना अनुच्छेद 184 – सभापति/उपसभापति के कर्तव्य अनुच्छेद 185 – सभापति का मतदान अनुच्छेद 186 – सदस्यों का शपथ/प्रतिज्ञान अनुच्छेद 187 – विधानमंडल सचिवालय अनुच्छेद 188 – मंत्रियों का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 189 – गणपूर्ति (Quorum) अनुच्छेद 190 – सदस्यों की रिक्तियाँ अनुच्छेद 191 – सदस्यता से अयोग्यता अनुच्छेद 192 – अयोग्यता पर निर्णय अनुच्छेद 193 – बिना शपथ बैठने पर दंड
विधायी शक्तियाँ एवं प्रक्रिया	अनुच्छेद 194 – सदनों के विशेषाधिकार अनुच्छेद 195 – सदस्यों का वेतन व भत्ते अनुच्छेद 196 – विधेयक का प्रस्ताव अनुच्छेद 197 – साधारण विधेयकों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 198 – साधारण विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 199 – धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 200 – राज्यपाल की स्वीकृति अनुच्छेद 201 – राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक
वित्तीय प्रक्रिया	अनुच्छेद 202 – वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) अनुच्छेद 203 – अनुदान मांग अनुच्छेद 204 – विनियोग विधेयक अनुच्छेद 205 – अनुपूरक/अतिरिक्त अनुदान अनुच्छेद 206 – लेखानुदान अनुच्छेद 207 – वित्तीय विधेयक

प्रक्रिया के नियम	<p>अनुच्छेद 208 – कार्य संचालन के नियम अनुच्छेद 209 – वित्तीय प्रक्रिया का विनियमन अनुच्छेद 210 – सदन में प्रयुक्त भाषा अनुच्छेद 211 – न्यायाधीशों पर चर्चा निषिद्ध अनुच्छेद 212 – न्यायालयों द्वारा कार्यवाही में हस्तक्षेप निषिद्ध</p>
--------------------------	--

- ❖ **अनु. 172- विधानसभा का कार्यकाल**
- ◆ उसकी पहली बैठक से पाँच वर्ष तक निर्धारित होता है।
- ◆ सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष को सम्बोधित त्यागपत्र से अपना पद पहले भी छोड़ सकते हैं।
- ◆ राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है।
- ◆ राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है।

- ❖ **महत्त्वपूर्ण शब्दावली**
- 1. **आम चुनाव:** जब विधानसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष पूर्ण हो जाता है तब होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं।
- 2. **उपचुनाव:** किसी कारणवश (मृत्यु, पदत्याग, बर्खास्त) किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाये तो उसके विधानसभा क्षेत्र में पदरिक्ति की दिनांक से 6 माह की अवधि में उपचुनाव संपन्न होते हैं।
- 3. **मध्यावधि चुनाव:** यदि विधानसभा अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व भंग हो जाये तो होने वाले चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। ये चुनाव विधानसभा भंग होने से 6 माह की अवधि में होने आवश्यक है।

- ❖ **अनुच्छेद 172 (2): विधान परिषद् स्थायी सदन है, अतः भंग नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।**

अनुच्छेद 173 : विधान मण्डल के सदस्यों की अर्हता/योग्यता

- ❖ **विधानसभा के सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएँ :**
- ◆ भारत का नागरिक हो।
- ◆ 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- ◆ तीसरी अनुसूची के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ली हो।
- ◆ संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य शर्तों को पूर्ण करता हो।
- ❖ **विधान परिषद् के सदस्यों के लिए अर्हताएँ :**
- ◆ भारत का नागरिक हो।
- ◆ 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- ◆ तीसरी अनुसूची के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ली हो।
- ◆ संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य शर्तों को पूर्ण करता हो। कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेगा, जिसे संसद के कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो।
- ❖ **अनुच्छेद- 174:** विधान मण्डल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
- ◆ राज्यपाल समय समय पर विधान मण्डल के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। किन्तु एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। सामान्यतः वर्ष में तीन सत्र होते हैं-
1. बजट - फरवरी से मई
2. मानसून - जुलाई से सितम्बर
3. शीतकालीन - नवम्बर से दिसम्बर
- ❖ **स्थगन**
- ◆ राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 1956 के नियम 13 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि संसद की बैठक अनिश्चित काल के लिए या किसी दिन या उस दिन के किसी समय या भाग के लिए स्थगित की जायेगी।
- ◆ अध्यक्ष ऐसी स्थगित बैठक को समय पूर्व भी बुला सकता है।

1. यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है न कि सत्र को।
 2. यह सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
 3. यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि वही काम दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है।
- ❖ **साइन डाई स्थगन-**
 - ◆ किसी सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना **साइन डाई स्थगन** कहलाता है।
 - ❖ **सत्रावसान**
 - 1. यह न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है।
 - 2. इसे राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
 - 3. यह भी किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है।
 - ❖ **विघटन**
 - ◆ विघटन का अर्थ है भंग करना। विघटन केवल विधानसभा का होता है, विधानपरिषद का नहीं। विधानसभा के विघटन से चल रही विधानसभा समाप्त हो जाती है तथा इसके परिणामस्वरूप नयी विधानसभा के चुनाव होते हैं।
 - ◆ राज्य विधानसभा के विघटन के बाद ही विधायक और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल समाप्त नहीं होता।

- ❖ **विधानसभा का सत्र**
- ◆ विधानसभा का सत्र राज्यपाल द्वारा आहूत (बुलाया) जाता है।
- ◆ विधानसभा सत्र की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है।
- ◆ सामान्यतः राज्यपाल मुख्यमंत्री/मंत्रिपरिषद् की सलाह पर विधानसभा का सत्र बुलाता है।
- ◆ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल अपने स्वविवेक से भी विधानसभा का सत्र बुला सकता है।
- ◆ डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का कथन - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का मत था कि विधानसभा को आहूत करना राज्यपाल का अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य है।

- ❖ **अनुच्छेद 175 - सदन या सदनों में अभिभाषण का, उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार**
- ◆ राज्यपाल विधानमंडल में संबद्ध किसी विधेयक के संबंध में विधानमंडल के किसी सदन को संदेश भेज सकेगा। जिस सदन को ऐसा संदेश भेजा गया है, वह सदन यथाशीघ्र उस विषय पर विचार करेगा।
- ◆ राज्यपाल विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकेगा तथा सदस्यों में उपस्थित होंगे की अपेक्षा कर सकेगा।
- ❖ **अनुच्छेद 176 - राज्यपाल का विशेष अभिभाषण**
- ◆ नई विधानसभा के गठन तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में एक साथ समवेत विधानमंडल के एक अथवा दोनों सदनों में राज्यपाल अभिभाषण देगा तथा विधानमंडल को इसके आह्वान किये जाने का कारण बतायेगा।
- ❖ **अनुच्छेद 177 - प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान सभा में या विधान परिषद्**

वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधान-मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

- ❖ **अनुच्छेद 178 - विधानसभा के पीठासीन अधिकारी**
- ❖ विधानसभा सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष व एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है।


- ❖ विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल निश्चित करे और प्रमुख सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना देगा।
- ❖ विधानसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो अध्यक्ष निश्चित करे।
- ❖ सदन के प्रारम्भ पर या समय-समय पर जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष सदस्यों में से अधिक से अधिक चार सभापतियों की एक तालिका मनोनीत करेगा, जिनमें से कोई एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन हो सकेगा।

राजस्थान विधानसभा की समय सारणी

विधान सभा	मुख्यमंत्री	विपक्ष का नेता	प्रोटेम स्पीकर
पहली	1. टीकाराम पालीवाल 2. जय नारायण व्यास 3. एम.एल. सुखाड़िया	जसवंत सिंह, तन सिंह	1. महाराव संग्राम सिंह 2. जयनारायण व्यास
दूसरी	एम. एल. सुखाड़िया	नरेन्द्र सिंह	नारायण सिंह मसूदा
तीसरी	एम. एल. सुखाड़िया	लक्ष्मण सिंह	नारायण सिंह मसूदा
चौथी	1. एम. एल. सुखाड़िया 2. बरकतुल्ला खान	लक्ष्मण सिंह	पूनम चंद विश्रोई
राष्ट्रपति शासन 13-03-1967 से 26-04-1967			
पाँचवीं	1. बरकतुल्ला खान 2. हरिदेव जोशी	लक्ष्मण सिंह	यशवंत सिंह नाहर
राष्ट्रपति शासन 30-04-1977 से 21-06-1977			
छठी	भैरो सिंह शेखावत	1. परसराम मदेरणा 2. राम नारायण चौधरी 3. लक्ष्मण सिंह	मेजर फतेह सिंह
राष्ट्रपति शासन 17-02-1980 से 05-06-1980			
सातवीं	1. जगन्नाथ पहाड़िया 2. शिव चरण माथुर 3. हीरालाल देवपुरा	भैरो सिंह शेखावत	परसराम मदेरणा
आठवीं	1. हरिदेव जोशी 2. शिव चरण माथुर	1. भैरो सिंह शेखावत 2. प्रो. केदार नाथ शर्मा	लक्ष्मण सिंह
नौवीं	भैरो सिंह शेखावत	हरिदेव जोशी	पूनम चंद विश्रोई
राष्ट्रपति शासन 15-12-1992 से 03-12-1993			
दसवीं	भैरो सिंह शेखावत	परसराम मदेरणा	पूनम चंद विश्रोई
ग्यारहवीं	अशोक गहलोत	1. भैरो सिंह शेखावत 2. गुलाब चंद कटारिया	भैरूसिंह शेखावत
बारहवीं	श्रीमती वसुंधरा राजे	1. डॉ. बी.डी. कल्ला 2. राम नारायण चौधरी 3. हेमा राम चौधरी	गंगाराम चौधरी
तेरहवीं	अशोक गहलोत	1. वसुंधरा राजे, 2. वसुंधरा राजे 3. गुलाब चंद कटारिया	देवी सिंह भाटी
चौदहवीं	श्रीमती वसुंधरा राजे	रामेश्वर लाल डूडी	प्रद्युम्न सिंह
पंद्रहवीं	अशोक गहलोत	1. गुलाब चंद कटारिया 2. राजेन्द्र राठौड़	गुलाब चंद कटारिया
सोलहवीं	भजन लाल शर्मा	टीका राम जूली	कालीचरण सराफ

- ◆ भारतीय संविधान के **भाग-6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 232** तक राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन एवं प्राधिकार संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है।
- ◆ प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है (अनुच्छेद 214)। हालांकि संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकती है।

- ◆ उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है, जिसके अधीन राज्य की सभी अधीनस्थ न्यायालयें कार्य करती हैं।
- ◆ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है।



- ◆ **भारत परिषद् अधिनियम, 1861 (Indian Councils Act, 1861)** के तहत भारत में पहली बार **उच्च न्यायालयों (High Courts)** की स्थापना हुई।
1. **कलकत्ता उच्च न्यायालय** - 1 जुलाई, 1862 (भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट)
 2. **बॉम्बे उच्च न्यायालय** - 14 अगस्त, 1862
 3. **मद्रास उच्च न्यायालय** - 15 अगस्त, 1862
 4. **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** - 17 मार्च, 1866

नोट-

- ◆ **5 जुलाई, 2016** को केन्द्र सरकार ने फैसला लिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट → **मुंबई हाईकोर्ट**
- ◆ मद्रास हाईकोर्ट → **चेन्नई हाईकोर्ट**
- ◆ कलकत्ता हाईकोर्ट → **कोलकाता हाईकोर्ट** नाम से जाने जाएंगे।
- ◆ वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 28 राज्यों में 23 उच्च न्यायालय तथा 8 केन्द्रशासित प्रदेशों में 2 उच्च न्यायालय (दिल्ली व जम्मू कश्मीर)।
- ◆ जनवरी, 2013 में तीन राज्यों (मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा) में उच्च न्यायालय बनाए गये।
- ◆ 25वां तथा सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जिसने 1 जनवरी, 2019 से कार्य प्रारम्भ किया।


राजस्थान उच्च न्यायालय

- ◆ राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 'राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949' के द्वारा की गई।
- ◆ 1949 के अध्यादेश की प्रमुख धाराएं-
- ◆ धारा 10 (1) उच्च न्यायालय की सर्वोच्च पीठ जोधपुर में स्थापित होगी।
- ◆ धारा 10 (2) - उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश को मनोनीत करेगा।
- ◆ राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) कमलाकांत वर्मा थे।


नोट-

- ◆ राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को स्थापित करने का निर्णय 21 जून, 1949 को लिया।
- ◆ उच्च न्यायालय को स्थापित करने की अधिसूचना जारी हुई- 25 अगस्त, 1949 को।
- ◆ उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त, 1949 को धारा-1 की उपधारा (3) के तहत।
- ◆ राजस्थान उच्च न्यायालय का विधिवत उद्घाटन 29 अगस्त, 1949 को राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा किया गया।


अनुच्छेद 214 : राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान




- ❖ **अनुच्छेद 215 - उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। निर्णय व कार्यवाही लिखित रूप में होती है।**
 - ◆ उच्च न्यायालय के सभी निर्णय और कार्य रिकॉर्ड पर रखे जाते हैं।
 - ◆ ये रिकॉर्ड निचली अदालतों में **साक्ष्य** के रूप में मान्य होते हैं।
- नोट:** उच्च न्यायालय की तरह, उच्चतम न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 129) है।
- ❖ **अनुच्छेद 216 - उच्च न्यायालयों का गठन**
 1. प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं।
 2. ये न्यायाधीश **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त** किए जाते हैं।
 3. न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार **राष्ट्रपति** के पास है।
- नोट-** संविधान ने यह तय नहीं किया है कि उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे।
- ❖ **अनुच्छेद 217 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें**
 - (1) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) और अन्य सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति **राष्ट्रपति** करते हैं।



- ❖ **चतुर्थ न्यायाधीश वाद (2015)-** सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 99वें संविधान संशोधन तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) दोनों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।



- (2) **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएँ:**
 - ◆ **नागरिकता:** भारत का नागरिक होना चाहिए।
 - ◆ **अनुभव:** भारत के किसी न्यायिक पद पर 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो।
 - ◆ **आयु:** किसी न्यूनतम आयु का नियम नहीं है। (विशेष प्रावधान नहीं)
 - ◆ 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई।
- (3) यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और इस पर राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम होगा।
- ❖ **अनुच्छेद 218 - उच्च न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों का लागू होना-**
 - ◆ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना
 - ◆ न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है।
- ❖ **(अनुच्छेद 124 (5) के अंतर्गत संसद द्वारा)**



- ◆ उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीश को पद से हटाने के नियम और तरीके बिल्कुल वही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय (SC) के न्यायाधीश के लिए अनुच्छेद 124(4) और 124(5) में दिए गए हैं।
- ◆ अनुच्छेद 124(5) के तहत संसद ने 'न्यायाधीश जाँच अधिनियम 1968' पास करके इस पूरी प्रक्रिया को तय किया है।
- ◆ हटाने के कारण
 - ◆ सिद्ध कदाचार (साबित हुआ बुरा व्यवहार या भ्रष्टाचार)
 - ◆ असमर्थता (काम करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य होना)
- ◆ **हटाने की प्रक्रिया**
 - ◆ यह पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसका संसद के एक ही सत्र (Session) में पूरा होना अनिवार्य है।
- 1. **शुरुआत:** प्रस्ताव लाना और नोटिस सबसे पहले 14 दिन पहले की पूर्व सूचना (नोटिस) देना जरूरी है।

- ♦ प्रस्ताव शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों का समर्थन आवश्यक है:
- ♦ लोकसभा में: कम से कम 100 सदस्य लिखित समर्थन दें।
- ♦ राज्यसभा में: कम से कम 50 सदस्य लिखित समर्थन दें।
- ♦ इसके बाद संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) की अनुमति मिलना जरूरी है।

2. जाँच: 3-सदस्यीय विशेष समिति का गठन

- ♦ आरोपों की सत्यता जांचने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा एक समिति बनाई जाती है, जिसमें ये 3 सदस्य होते हैं:
- ♦ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या कोई अन्य न्यायाधीश।
- ♦ किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश।
- ♦ एक प्रसिद्ध और पारंगत कानूनविद (विधिवेत्ता)।
- ♦ जज का अधिकार: न्यायाधीश को पूरा हक है कि वे इस समिति के सामने खुद आकर या अपने किसी प्रतिनिधि/वकील को भेजकर अपना पक्ष रख सकें।

3. मतदान: संसद में विशेष बहुमत

- ♦ यदि समिति जज को दोषी पाती है, तो प्रस्ताव पर वोटिंग होती है: पहला सदन: सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित और वोट देने वालों का 2/3 बहुमत (विशेष बहुमत) से पास करे।
- ♦ दूसरा सदन: पहले सदन से पास होकर प्रस्ताव यहाँ आता है। इसे भी उसी विशेष बहुमत (2/3) से पास करना होता है।

4. अंतिम निर्णय: राष्ट्रपति का आदेश

- ♦ दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
- ♦ अंततः, राष्ट्रपति के लिखित आदेश द्वारा न्यायाधीश को पद से मुक्त (हटा) कर दिया जाता है।
- ♦ राजस्थान विशेष तथ्य
- ♦ आज तक के इतिहास में राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ ऐसा कोई (हटाने का) प्रस्ताव नहीं लाया गया है।

नोट:- अब तक उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ।

- (1) सर्वप्रथम 1992-93 में वी. रामास्वामी के विरुद्ध
 - (2) 2018 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के विरुद्ध
- ♦ अब तक उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ :

1.	पी.डी. दिनाकरण	सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
2.	सौमित्र सेन	कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
3.	जे.बी. पर्दीवाला	गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
4.	नागार्जुन रेड्डी	आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
5.	यशवंत वर्मा	इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-विचाराधीन

- ♦ अभी तक उच्च व उच्चतम न्यायालय के एक भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है।

❖ **अनुच्छेद 219 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान**

- ♦ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल या उनके नियुक्त प्रतिनिधि दिलाते हैं।
 - ♦ शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है।
- ❖ **अनुच्छेद 220 - स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि व्यवसाय पर निर्बंधन**

- ♦ उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी (Authority) के सामने वकालत या पैरवी का काम नहीं कर सकता और न ही सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण कर सकते हैं।

- ♦ **अपवाद:** वह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या अन्य उच्च न्यायालयों में कार्य कर सकता है।

- ❖ **अनुच्छेद 221: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते**
- ♦ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, सुविधाएँ, अवकाश तथा पेंशन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, जब तक संसद निर्धारित न करे तब तक अनुसूची-2 के अनुसार दिये जाते हैं।

वेतन = राज्य की संचित निधि - **पेंशन** = भारत की संचित निधि

नोट- वित्तीय आपातकाल में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन (कटौती) किया जा सकता है।

- ❖ **अनुच्छेद 222 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण**
- ♦ किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण **राष्ट्रपति** के द्वारा **भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श** से किया जाता है।

❖ **अनुच्छेद 223 - कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति-**

- ♦ जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो (रिक्त हो जाए), या मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश (उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से) को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है।

❖ **अनुच्छेद 224 - अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति**

- ♦ जब मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ जाए और कार्यभार ज़्यादा हो जाए, तब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में 2 वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं।

नोट- कोई भी अपर या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पार करने के बाद पद पर नहीं रह सकता।

❖ **अनुच्छेद 225 - उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार**

- ♦ संविधान लागू होने के बाद भी जो अधिकार और शक्तियाँ उच्च न्यायालय के पास पहले से थी, वे वैसे ही बनी रहेंगी।
- ♦ संविधान और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन रहते हुए न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों का विनियमन, [single bench (एकल) हो या division bench (खंड न्यायालय)] न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।

❖ **उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार (अधिकारिता) और शक्तियाँ**

- ♦ **प्रारम्भिक / मूल अधिकारिता-** उच्च न्यायालय को कुछ मामलों में सीधे सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, यानी ये मामले सीधे हाईकोर्ट में ही उठाए जा सकते हैं।

राजस्व संग्रह	मूल अधिकारों का उल्लंघन
चुनाव संबंधी विवाद	संसद सदस्यों के चुनाव
राज्य विधानसभा सदस्यों के चुनाव	संविधान की व्याख्या
न्यायिक मामले	वसीयत
तलाक	कंपनी कानून
न्यायालय की अवमानना	

❖ **अनुच्छेद 226 - उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाएँ जारी करने की शक्ति**

- ♦ उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है:

बंदी प्रत्यक्षीकरण	अवैध गिरफ्तारी या बंदी को चुनौती देना।
परमादेश	किसी सरकारी अधिकारी को कानून के अनुसार कार्य करने का आदेश देना।
उत्प्रेषण	अवैध या अनुचित निर्णय/कार्रवाई को रद्द करना।
प्रतिषेध	किसी निचली अदालत या प्राधिकारी को अपनी सीमा से बाहर निर्णय लेने से रोकना।
अधिकार पृच्छा	किसी व्यक्ति को उसके पद पर होने का अधिकार प्रमाणित करने के लिए चुनौती देना।

- ❖ **अनुच्छेद 227 - उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति**
- ❖ उच्च न्यायालय राज्य के सभी निचली अदालतों और अधिकरणों पर अधीक्षण रखता है।
- ❖ निचली अदालतों से जानकारी/विवरण मंगवाना।
- ❖ नियम, प्रारूप और प्रक्रियाएँ तय करना।
- ❖ न्यायालय के अधिकारियों, लिपिकों, वकीलों आदि के लिए फीस निर्धारित करना।
- ❖ **अनुच्छेद 228 - उच्च न्यायालय में मामलों का अंतरण / स्थानांतरण**
- ❖ किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले में संवैधानिक या कानून से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उच्च न्यायालय वह मामला अपने पास मंगा सकता है तथा निर्णय होने के बाद प्रतिलिपि (copy) अधीनस्थ न्यायालय को भेज दी जाती है।
- ❖ **अनुच्छेद 229 - उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी नियुक्ति:** मुख्य न्यायाधीश अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करता है; नए कर्मचारियों के लिए RPSC से सलाह जरूरी।
- ❖ **सेवा शर्तें:** मुख्य न्यायाधीश तय करता है, पर वेतन, भत्ते, पेंशन और छुट्टी में राज्यपाल की अनुमति जरूरी।
- ❖ **प्रशासनिक खर्च:** वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य खर्च राज्य की संचित निधि से; न्यायालय की फीस और धनराशि भी इसमें शामिल।
- ❖ **अनुच्छेद 230 - संघ राज्य क्षेत्रों पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता (क्षेत्राधिकार) का विस्तार**
- ❖ संसद कानून बनाकर किसी केंद्रशासित प्रदेश पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता बढ़ा या घटा सकती है।
- ❖ **अनुच्छेद 231 - दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना**
- ❖ संसद कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों व किसी केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में महत्त्वपूर्ण तथ्य

- ❖ "सत्यस्य जयोऽस्तु" राजस्थान उच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है।
- 1. **स्वतंत्रता से पूर्व (रियासत कालीन स्थिति)**
- ❖ आजादी से पहले राजस्थान की 5 प्रमुख रियासतें ऐसी थीं, जिनके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय था।
- ❖ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा
- 2. **एकीकरण के समय की स्थिति**
- ❖ राजस्थान के एकीकरण के दौरान, नवगठित राज्य में कुल 5 उच्च न्यायालय काम कर रहे थे, जिनमें जजों की कुल संख्या 20 थी:
- ❖ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर
- ❖ उदयपुर (विशेष: इसकी एक बेंच कोटा में भी चल रही थी)
- ❖ एकीकरण के समय सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि राज्य की राजधानी कहाँ बनेगी और उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित होगा। इस विवाद को सुलझाने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई:
- ❖ **समिति का नाम:** बी. आर. पटेल समिति
- ❖ **अध्यक्ष:** बी. आर. पटेल
- ❖ **अन्य सदस्य:** ले. कर्नल टी.सी. पुरी एवं एस.पी. सिन्हा
- ❖ **रिपोर्ट की तारीख:** 27 मार्च 1949
- ❖ **समिति की मुख्य सिफारिशें:** राजधानी: जयपुर में स्थापित की जाए।
- ❖ उच्च न्यायालय (High Court): जोधपुर में स्थापित किया जाए।
- ❖ राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 (21 जून 1949) द्वारा इन सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर पूरे राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का निर्णय लिया।
- ❖ 25 अगस्त, 1949 को राजप्रमुख मानसिंह द्वितीय ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन जोधपुर में करने की तिथि निश्चित की।
- ❖ राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त, 1949 को जोधपुर में किया गया तथा समारोह की अध्यक्षता राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय की उपस्थिति में माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) ने अन्य 11 न्यायाधीशों के साथ शपथ ली।

❖ अन्य न्यायाधीश-

(1) लाला नवल किशोर-जोधपुर	(2) अमरसिंह जसोल-जोधपुर
(3) कैवरलाल बाफना-जयपुर	(4) मोहम्मद इब्राहीम-जयपुर
(5) जवानसिंह राणावत-उदयपुर	(6) शार्दुलसिंह मेहता-उदयपुर
(7) दुर्गाशंकर दवे-बूंदी	(8) के.के. शर्मा-भरतपुर
(9) त्रिलोकचन्द दत्त-बीकानेर	(10) खेमचंद गुप्ता-कोटा
(11) आनंद नारायण कोल-अलवर	

- ❖ 8 मई, 1952 को राजप्रमुख ने अध्यादेश की धारा 10 के तहत एक अधिसूचना जारी कर निर्देश दिया कि 22 मई, 1952 से राजस्थान के लिए न्यायिक न्यायालय उच्च न्यायालय बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर समाप्त कर दिया जाये। हालांकि बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर में बैच समाप्त हो गए थे, परन्तु जयपुर खंडपीठ को जयपुर एवं कोटा संभाग के अधिकार क्षेत्रों में काम करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- ❖ राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1 अक्टूबर, 1952 से प्रभावी हुए।
- ❖ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के द्वारा राजस्थान का पुनः सीमा परिवर्तन हुआ और अधिनियम की धारा 49 के द्वारा एक नया उच्च न्यायालय गठित हुआ। 11 जुलाई, 1957 को पी. सत्यनारायण राव की अध्यक्षता वाली समिति (सदस्य- वी.विश्वनाथन, बी.के.गुप्ता) ने 26 फरवरी, 1958 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सिफारिश की कि राजस्थान की राजधानी जयपुर और उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में ही रहे, परन्तु जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया जाए। इसी के तहत 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ समाप्त कर दी गई।
- ❖ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा-51 के तहत राष्ट्रपति ने राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 8 दिसम्बर, 1976 को जारी किया और जयपुर पीठ 31 जनवरी, 1977 को पुनः स्थापित हो सकी।

जयपुर खंडपीठ से जुड़ी प्रमुख घटनाएँ-

- ❖ **समिति की सिफारिश** - 26 फरवरी, 1958 को पी. सत्यनारायण समिति द्वारा सिफारिश की गई कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जोधपुर में बनी रहे।
- ❖ **जयपुर खंडपीठ समाप्त** - इसी सिफारिश के तहत जयपुर में कार्यरत खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया (सन् 1958 में)।
- ❖ **जनता की नाराज़गी** - जयपुर खंडपीठ को हटाने से पूर्वी राजस्थान के लोगों में भारी असंतोष और विरोध देखा गया।
- ❖ **सत्यनारायण समिति के सदस्य** - यह निर्णय पी. सत्यनारायण राव समिति द्वारा किया गया था, जिसमें बी. के. गुप्ता और बी. वी. विश्वनाथन सदस्य थे।
- ❖ **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** - इस अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (2) के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में निर्णय लेने का अधिकार था।
- ❖ भारत सरकार (राष्ट्रपति-फखरुद्दीन अली अहमद) ने 8 दिसंबर, 1976 को आदेश जारी किया, जिसमें पुनः जयपुर में खंडपीठ स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
- ❖ **खंडपीठ का शुभारंभ** - जयपुर खंडपीठ ने विधिवत 31 जनवरी, 1977 को कार्य प्रारंभ किया।


नोट:-

- ❖ पीठ की स्थापना पूर्व राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश से विमर्श किया गया।
- ❖ राष्ट्रपति - फखरुद्दीन अली अहमद
- ❖ राज्यपाल - जोगेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायाधीश - वी.पी. त्यागी

- राजस्थान उच्च न्यायालय के गठन के समय 01 मुख्य न्यायाधीश व 11 अन्य न्यायाधीश थे, जबकि 26 जनवरी, 1950 को राजस्थान 'बी' श्रेणी का राज्य बनने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में 01 मुख्य न्यायाधीश व 6 अन्य न्यायाधीश थे (कुल 7)
- राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्ष 2015 में न्यायाधीशों की कुल संख्या 50 कर दी गयी।

उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश	कैलाशनाथ वांचू	02.01.1951 से 10.08.1958
न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश	सतीश कुमार मित्तल।	05.03.2016 से 14.04.2016
उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश	जे.एम. पांचाल	16.09.07 से 11.11.07

- राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ व बेंच पीठ के अधिकार क्षेत्र इस प्रकार हैं - (41 जिलों के अनुसार)



- राजस्थान की पहली वर्चुअल अदालत (Virtual Court)**
- ई-उद्घाटन करने वाले न्यायाधीश - राजस्थान राज्य की पहली वर्चुअल अदालत का उद्घाटन एस. एस. शिंदे ने किया।
 - उस समय एस. एस. शिंदे राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे।
 - उद्घाटन 20 जुलाई, 2022 को हुआ।
 - यह उद्घाटन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और रजिस्ट्रि विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ।

- प्रमुख जानकारी**
- राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी-स्थापना** - 16 नवम्बर, 2001 "न्यायिक प्रशासन स्कूल और राजस्थान न्यायिक अकादमी"
 - नोट** - 24 जनवरी, 2007 'राजस्थान न्यायिक अकादमी' (नाम में बदलाव), **स्थान** - जोधपुर
 - राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.एस. शिंदे ने राज्य की प्रथम वर्चुअल ई-कोर्ट का उद्घाटन 20 जुलाई, 2022 को किया।
 - नोट-** 18 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी (अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय, जोधपुर महानगर)
 - जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के भव्य नवीन भवन का लोकार्पण भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा 07 दिसंबर, 2019 को किया गया था।

- उद्देश्य -**
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामूली यातायात अपराधों को सुलझाने के लिए ई-कोर्ट परियोजना के तहत यह अदालत शुरू की गई।
- इसका उद्देश्य न्यायालय में अधिवक्ता की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करना और समय, संसाधन तथा जनसाधारण की सुविधा को बढ़ाना था।

राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की सूची

क्र. स.	नाम	कार्यकाल
1.	जस्टिस कमलकान्त वर्मा	29.08.1949 से 24.01.1950 तक
2.	जस्टिस कैलाशनाथ वांचू	02.01.1951 से 10.08.1958 तक
3.	जस्टिस सरजू प्रसाद	28.02.1959 से 10.10.1961 तक
4.	जस्टिस जे. एस. रानावत	11.10.1961 से 31.05.1963 तक
5.	जस्टिस डी. एस. दवे	01.06.1963 से 17.12.1968 तक
6.	जस्टिस दौलतमल भंडारी	18.12.1968 से 15.12.1969 तक
7.	जस्टिस जे. नारायण	16.12.1969 से 13.02.1973 तक
8.	जस्टिस बी.पी. बेरी	14.02.1973 से 16.02.1975 तक
9.	जस्टिस पी.एन. सिंघल	17.02.1975 से 05.11.1975 तक
10.	जस्टिस वी.पी. त्यागी	06.11.1975 से 27.12.1977 तक
11.	जस्टिस सी. हॉनिस	27.04.1978 से 22.09.1978 तक
12.	जस्टिस चांदमल लोढ़ा	12.03.1979 से 09.07.1980 तक
13.	जस्टिस के.डी. शर्मा	07.01.1981 से 22.10.1983 तक
14.	जस्टिस पी.के. बनर्जी	23.10.1983 से 30.09.1985 तक
15.	जस्टिस डी.पी. गुप्ता	12.04.1986 से 31.07.1986 तक
16.	जस्टिस जे.एस. वर्मा	01.09.1986 से 22.05.1989 तक
17.	जस्टिस के.सी. अग्रवाल	15.04.1990 से 07.04.1994 तक
18.	जस्टिस जी.सी. मित्तल	12.04.1994 से 03.03.1995 तक
19.	जस्टिस ए.पी. रावानी	04.04.1995 से 10.09.1996 तक
20.	जस्टिस मुकुल गोपाल मुखर्जी	19.09.1996 से 24.12.1997 तक
21.	जस्टिस शिवराज वी. पाटिल	22.01.1999 से 14.03.2000 तक
22.	जस्टिस ए. आर. लक्ष्मण	29.05.2000 से 25.11.2001 तक
23.	जस्टिस अरुण कुमार	02.12.2001 से 02.10.2002 तक
24.	जस्टिस अनिल देवसिंह	24.12.2002 से 22.10.2004 तक
25.	जस्टिस सच्चिदानंद झा	12.10.2005 से 15.06.2007 तक
26.	जस्टिस जे.एम. पांचाल (कार्यवाहक)	16.07.2007 से 15.09.2007 तक
27.	जस्टिस जे.एम. पांचाल	16.09.2007 से 11.11.2007 तक
28.	जस्टिस राजेश भल्ला (कार्यवाहक)	जनवरी, 2008
29.	जस्टिस नारायण राव	05.01.2008 से 31.01.2009 तक
30.	जस्टिस दीपक वर्मा	06.03.2009 से 10.05.2009 तक
31.	जस्टिस जगदीश भल्ला	10.08.2009 से 31.10.2010 तक
32.	जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा (कार्यवाहक)	1.11.2010 से 25.11.2010 तक
33.	जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा	26.11.2010 से 13.12.2012 तक
34.	जस्टिस अमिताव रॉय	02.01.2013 से 05.08.2014 तक
35.	जस्टिस सुनील अंबवानी	24.03.2015 से 21.08.2015 तक
36.	जस्टिस अजित सिंह (कार्यवाहक)	अगस्त, 2015 से मार्च, 2016 तक
37.	जस्टिस एस.के. मित्तल	05.03.2016 से 14.04.2016 तक
38.	जस्टिस नवीन सिन्हा	14.05.2016 से 17.02.2017 तक
39.	जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग	02.04.2017 से 06.04.2019 तक
40.	जस्टिस मोहम्मद रफीक (कार्यवाहक)	अप्रैल, 2019 से मई, 2019 तक
41.	जस्टिस एस. रवीन्द्र भट्ट	05.05.2019 से 23.09.2019 तक
42.	जस्टिस इन्द्रजीत महांति	6 अक्टूबर, 2019 से 11 अक्टूबर, 2021
43.	अकील कुरेशी	12 अक्टूबर 2021 से 6 मार्च 2022
44.	मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव (कार्यवाहक)	7 मार्च, 2022 से 20 जून, 2022
45.	जस्टिस शंभाजी शिवाजी शिंदे	21 जून 2022 से 1 अगस्त 2022
46.	जस्टिस पंकज मिथल (40वें)	14 अक्टूबर, 2022 से 5 फरवरी, 2023
47.	ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (41वें)	30 मई, 2023 से 8 नवम्बर, 2023
48.	मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव (42वें)	6 फरवरी, 2024 से 21 जुलाई, 2025
49.	के.आर. श्रीराम (43वें)	21 जुलाई, 2025 से 27 सितम्बर 2025
50.	संजीव प्रकाश शर्मा (कार्यवाहक)	27 सितम्बर 2025 -

प्रथम महिला न्यायाधीश

- ◆ राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश: कांता भटनागर
- ◆ यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी महिला न्यायाधीश रही हैं जिन्हें बाद में अन्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति मिली।
- ❖ **महत्वपूर्ण तथ्य**
- ◆ राजस्थान उच्च न्यायालय में अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) नहीं बनी है।
- ◆ राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त महिला न्यायाधीश - कांता भटनागर, मोहिनी कपूर, ज्ञानसुधा मिश्रा, मीना वी. गोम्बे, नीशा गुप्ता, बेला एम. त्रिवेदी, जयश्री ठाकुर, निर्मलजीत कौर, प्रभा शर्मा, सबीना, रेखा बोरान, शुभा मेहता, नुपुर भाटी, संगीता शर्मा,
- ❖ **विशेष उपलब्धियाँ**
- ◆ ज्ञानसुधा मिश्रा और बेला एम. त्रिवेदी दोनों राजस्थान उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में नियुक्त हुईं।
- ❖ **उच्च न्यायालय से पदोन्नति संबंधी तथ्य**
- ◆ अब तक राजस्थान उच्च न्यायालय के लगभग: 14 मुख्य न्यायाधीशों को और 15 न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति मिली है।
- ❖ **सेवा के दौरान निधन हुए न्यायाधीश**
- ◆ सुरेश चन्द्र सिंघल (2005), राजेन्द्र प्रसाद व्यास (2006), राजेश कुमार सोनी (2024)

राजस्थान उच्च न्यायालय के दो प्रमुख अंग

1. **राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA), जयपुर**
 - ◆ **संवैधानिक आधार** - अनुच्छेद 39A के तहत सभी नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान।
 - ◆ विधिक आधार - विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।
 - ◆ इस अधिनियम के अध्याय-3 के प्रावधान राजस्थान में 20 नवम्बर 1995 से प्रभावी हुए।
 - ◆ इसके लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 बनाए गए जो 6 अगस्त 1996 से लागू हुए।
 - ❖ **प्रमुख पदाधिकारी**
 - ◆ प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं।
 - ❖ **मुख्य कार्य**
 - ◆ गरीब एवं कमजोर वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना।
 - ◆ लोक अदालतों का आयोजन करना।
 - ◆ न्याय तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करना।
2. **राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर**
 - ◆ स्थापना एवं नाम परिवर्तन, स्थापना: 16 नवम्बर 2001
 - ◆ प्रारंभिक नाम: न्यायिक प्रशासन स्कूल एवं राजस्थान न्यायिक अकादमी
 - ◆ नाम परिवर्तन: 24 जनवरी 2007
 - ◆ वर्तमान नाम: राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी
 - ❖ **प्रमुख विशेषताएँ**
 - 1. ई-न्यूजलेटर: 2. मरुविधि रत्नाकर
 - 3. न्याय मंथन 4. टैगलाइन: "कर्मणैव हि संसिद्धि"
 - ❖ **कार्य**
 - ◆ न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास।
 - ◆ न्यायिक प्रशासन में सुधार हेतु शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
 - ◆ न्यायपालिका के लिए शैक्षणिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख नियम एवं अधिनियम

1. **राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायिक कार्य नियम, 1952**
 - ◆ लागू: 1 अक्टूबर 1952
 - ◆ उद्देश्य: उच्च न्यायालय के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों का विनियमन।
 - ◆ आधार: संविधान का अनुच्छेद 225
 - ◆ राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 की धारा 46
2. **राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002**
 - ◆ लागू: 5 दिसम्बर 2002
 - ◆ उद्देश्य: उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण।
3. **राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010**
 - ◆ लागू: वर्ष 2010
 - ◆ उद्देश्य: राज्य न्यायिक सेवा (Judicial Services) से संबंधित नियमों का निर्धारण।
4. **राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस नियम, 2024**
 - ◆ पूरा नाम: Rajasthan Electronic Process (Issuance, Service and Execution) Rules, 2024
 - ◆ लागू: 16 अगस्त 2024
 - ◆ विधिक आधार: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, धारा 64
 - ◆ उद्देश्य:- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन/नोटिस की सेवा एवं निष्पादन से संबंधित प्रावधान।

प्रमुख जानकारी

- ◆ **राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने**
- 1. जस्टिस कैलाश नाथ वांचू (10वें)
- 2. जस्टिस जे.एस. वर्मा (27वें)
- ◆ राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे -

1.	के.एन. वांचू	2.	पी.एन. सिंघल
3.	जटिस जे.एस. वर्मा	4.	शिवराज वी. पाटिल
5.	अरुण कुमार	6.	ए.आर. लक्ष्मणन
7.	जे.एम. पंचाल	8.	दीपक वर्मा
9.	अरुण मिश्रा	10.	अमिताभ रॉय
11.	नवीन सिन्हा	12.	एस. रविन्द्र भट्ट
13.	पंकज मितल	14.	ऑगस्टिन जार्ज मसीह

- ◆ **राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो अन्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने -**

1.	सी.एम. लोढा	2.	एम.एल. श्रीमाल
3.	जी.एम. लोढा	4.	एन.एम. कासलीवाल
5.	मिलाप चंद जैन	6.	कांता भटनागर
7.	एस.एन. भार्गव	8.	ए.के. माथुर
9.	एन.के. जैन	10.	जी.एस. सिंघवी
11.	वाई.आर. मीना	12.	राजेश बालिया
13.	आर.एम. लोढा	14.	भगवती प्रसाद
15.	प्रकाश टाटिया	16.	दिनेश माहेश्वरी
17.	एन.के. जैन	18.	अजय रस्तोगी
19.	गोविंद कुमार	20.	राघवेंद्र एस. चौहान
21.	मोहम्मद रफीक	22.	एम.एन. भण्डारी
23.	संदीप मेहता	24.	अरूण भंसाली
25.	विजय विश्वाई		

♦ राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया।

1.	ए.पी. सेन	2.	एन.एम. कासलीवाल
3.	एस.सी. अग्रवाल	4.	ए.के. माथुर
5.	पी.पी. नाओलेकर	6.	जी.एस. सिंघवी
7.	आर.एम. लोढ़ा	8.	बी.एस. चौहान
9.	जी.एस. मिश्रा	10.	ए.एम. सप्रे
11.	अजय रस्तोगी	12.	दिनेश माहेश्वरी
13.	बेला एम. त्रिवेदी	14.	संदीप मेहता
15.	विजय बिश्रोई		

अभ्यास प्रश्न

- राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए-
 - संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।
 - राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
 - अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख (Writs) जारी करने का अधिकार है।
 - भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार दो तथा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है।
 - 2, 3 तथा 4 सही हैं।
 - 1, 3 तथा 4 सही हैं।
 - 1 तथा 2 सही हैं।
 - 1, 2 तथा 3 सही हैं। [a]
- राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त, 1949 को शपथ दिलाई गई, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है?
 - न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर - जोधपुर
 - न्यायमूर्ति कँवर लाल बापना - जयपुर
 - न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत - कोटा
 - न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त - बीकानेर [c]
- निम्न में से एक असत्य है। पता लगाइये।
 - राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी।
 - उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है।
 - उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है।
 - उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है। [a]
- संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा?
 - राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के महान्यायवादी तथा राजस्थान के राज्यपाल।
 - राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति।
 - संघ के कानून एवं न्याय मंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल।
 - भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल। [b]
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:
 - वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता/होती है।
 - उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है।
 - वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है।
 - केवल I एवं II सही हैं।
 - केवल II एवं III सही हैं।
 - केवल I एवं III सही हैं।
 - I, II एवं III सभी सही हैं। [a]
- भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है?
 - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा
 - राष्ट्रपति के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
 - राज्यपाल के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा [b]
- राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
 - पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया था।
 - राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के तहत केंद्र सरकार को उच्च न्यायालय के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था।
 - जयपुर खंडपीठ ने पुनः स्थापित होने के बाद 31 जनवरी, 1977 से अपना कार्य प्रारंभ किया।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

 - केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - केवल 1 और 3
 - 1, 2 और 3 [d]
- उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
 - राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई।
 - स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया गया।
 - पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनःगठन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किया गया।
 - जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया।

सही उत्तर का चयन कीजिए

 - (i) और (ii)
 - (i) और (iii)
 - (i), (iii) और (iv)
 - (i), (ii), (iii) और (iv) [c]
- उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त किया जा सकता है-
 - किसी विश्वविद्यालय का कुलपति
 - राजदूत
 - राज्यपाल
 - सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष

सही उत्तर है :

- (a) केवल A, B एवं C
 (b) केवल B एवं C
 (c) केवल A, B
 (d) A, B, C एवं D [d]
10. निम्न में से कौनसा कथन असत्य है?
 (a) 01 अक्टूबर 1952 से राजस्थान उच्च न्यायालय के नए नियम प्रभावी हुए।
 (b) राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 है।
 (c) राजस्थान हाईकोर्ट के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू।
 (d) राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी जोधपुर में जिसकी स्थापना 16 नवम्बर 2000 को हुई। [d]
11. निम्न को सुमेलित कीजिए -
 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में)
 (A) अनुच्छेद - 217(1) 1. हटाने का कारण
 (B) अनुच्छेद - 217 (2) 2. त्यागपत्र राष्ट्रपति
 (C) अनुच्छेद - 217(1) क 3. योग्यता
 (D) अनुच्छेद - 217 (1) ख 4. नियुक्ति-राष्ट्रपति
 (a) A-3, B-4, C-2, D-1
 (b) A-4, B-3, C-2, D-1
 (c) A-4, B-2, C-3, D-1
 (d) A-1, B-3, C-2, D-4 [b]
12. उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
 (I) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।
 (II) अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्थायी रूप से और दो वर्ष से अधिक की नहीं होती।

◆◆◆◆

सही विकल्प का चयन कीजिए:

- (a) केवल कथन (I) सही है।
 (b) केवल कथन (II) सही है।
 (c) कथन (I) और (II) दोनों सही हैं।
 (d) न तो कथन (I) न ही (II) सही है। [b]
13. न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए:
 (a) उन्होंने केवल एक बार राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
 (b) भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति राजस्थान उच्च न्यायालय से हुई।
 (c) वे 1997 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बनें।
 (d) वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थे। [a]
14. राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए-
 1. संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।
 2. राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
 3. अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख (Writs) जारी करने का अधिकार है।
 4. भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार दो तथा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है।
 (a) 2, 3 तथा 4 सही हैं।
 (b) 1, 3 तथा 4 सही हैं।
 (c) 1 तथा 2 सही हैं।
 (d) 1, 2 तथा 3 सही हैं। [a]

विज्ञापन




मुश्किल परीक्षाएँ भी आसान लगेगी
जब तैयारी होगी लक्ष्य क्लासेस के साथ

CET 12th & Graduation level

राजस्थान की अनुभवी टीम, अब एक ही प्लेटफार्म पर

OFFLINE & ONLINE LIVE FROM CLASSROOM
AND RECORDED COURSE



Anil Choudhary Sir
Math And Reasoning



Rahul Sir
Science



Ratan Sir
Rajasthan History



S.K. Sir
Rajasthan Geography




Nagvinder Sir
Indian & Rajasthan Polity



Pankaj Sir
Art & Culture



Mukesh Sir
हिन्दी



Scan to Download
Lakshya App Now



MRP : ₹120



व्याख्यात्मक हल
लक्ष्य क्लासेज, उदयपुर
के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध

क्यों हैं लक्ष्य क्लासेज विशेष?



व्यापक अध्ययन सामग्री



MCQ की बुकलेट



नियमित टेस्ट सीरीज



पूर्णतः समर्पित यूट्यूब चैनल



मासिक करंट अफेयर्स मैगज़ीन



लाइब्रेरी सुविधा



ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेस



अनुभवी एवं योग्य फैकल्टी



सुसज्जित स्मार्ट क्लासरूम



नियमित काउंसलिंग

सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान

लक्ष्य क्लासेज™

M. 9079798005, 6376491126

Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle,
Main Road, Udaipur

S.No.AP0130 CODE: APDO(35) NRT